खण्ड–31, अंक–03
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत्, 1932
(16 मार्च, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2011)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 31 में 09 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	01
प्रश्नोत्तर	02–43
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	43–44
जनपद पिथौरागढ के ब्लॉक एवं तहसील गंगोलीहाट में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44
प्रदेश के माध्यमिक एवं इण्टर स्तर पर पर्यावरण को मुख्य विषय तथा इस विषय के शिक्षण हेतु एल0टी0 ग्रेड में वनस्पति विज्ञान, वन विज्ञान तथा रसायन विज्ञान को संयोजन विषय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44–45
जनपद पौडी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45–46
जनपद हरिद्वार के मण्डी समिति, रूड़की द्वारा किसानों को कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	46
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	46–50
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2010 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	50
कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005, तथा 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	50–51

विषय	पृष्ठ–संख्या
कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए(2) के अन्तर्गत पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2004–2005, 2005–2006 एवं 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	51
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की याचिका समिति (2010–11) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	51
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	51–52
कार्य–मंत्रणा की सिफारिश (स्वीकृत)	52–53
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	53–71
भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	71–84
भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	84–91
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	91–92
उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	93–94
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी में दो सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	94–95
कुमाऊँ विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पाँच सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	95–96
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग	96–98
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा समाप्त)	99–100
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	100
नत्थियाँ	101–102

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अनिल नौटियाल
3—श्रीमती अमृता रावत
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—श्री करन मेहरा
7—सुश्री कैरन मेयर
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगाराम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—हाजी तस्लीम अहमद
24—श्री तिलक राज बेहड़
25—श्री दिनेश अग्रवाल
26—श्री दिवाकर भट्ट
27—श्री दिवान सिंह
28—श्री नारायण पाल
29—काजी मौ० निजामुद्दीन
30—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31—श्री प्रकाश पन्त
32—श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री शेर सिंह गढ़िया
41—मे०ज० (अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूडी
ए०वी०एस०एम०
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मयूख सिंह
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—श्री कुलदीप कुमार
47—श्री यशपाल आर्य
48—श्री यशपाल बेनाम
49—चौ० यशवीर सिंह
50—डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"
51—श्री राजकुमार
52—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56—श्रीमती वीना महराना
57—श्री शहजाद
58—डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
59—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60—श्री सुरेन्द्र राकेश
61—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62—डा० हरक सिंह रावत
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरिदास

बुधवार, दिनाँक 16 मार्च, 2011 ई0

(विधान सभा की कार्यवाही सभा–मण्डप, देहरादून में पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री शहजाद–

माननीय मंत्री जी, मेरी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देखेंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' के निकट आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देखेंगे, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, हमारी बात सुनें, चर्चा कराई जानी चाहिए, बहुत अनिवार्य है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, प्रश्नकाल के बाद कहें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ष 2011 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं यातायात हेतु तैयार सड़कों का विवरण

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 के वर्तमान समय तक कुल कितने कि0मी0 सड़कें स्वीकृत की गई हैं तथा कुल कितने कि0मी0 सड़कें बन कर तैयार होकर यातायात के लिए खोल दी गयी हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–1 से 8 तक कुल 5627.73 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक कुल 3227.05 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें 183 सड़कें स्टेज–1 तक निर्मित है तथा 187 सड़कें स्टेज–2 तक निर्मित हैं, जो यातायात हेतु उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि फेज–1 में कुल कितने मार्ग स्वीकृत हुये थे और कितने मार्गों को यातायात के लिए उपलबध करा दिया गया और फेज–9 की स्थिति क्या है? इस बारे में माननीय मंत्री जी अवगत करा दें और तीसरा प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों की चौड़ाई के मानक क्या हैं और क्या मानकों के अनुरूप ये सड़कें पूर्ण रूप से बन रही हैं ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, फेज–1 में कुल स्वीकृत मार्ग 68 थे, और उन सभी मार्गों में यातायात उपलब्ध है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, दो प्रश्न और भी हैं। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था कि फेज–9 की स्थिति क्या है और मेरा तीसरा प्रश्न था कि सड़क की चौड़ाई के मानक क्या हैं, क्या मानकों के अनुरूप ये सड़कें बन रही हैं? मान्यवर, मेरा चौथा प्रश्न था कि जो आपने 68 मार्गों का जिक्र किया हैं, क्या ये मार्ग उपलब्ध हो गये हैं और यातायात हेतु सुलभ हो गये है ? मान्यवर, क्या इन 68 मार्गों की सूची हमें उपलब्ध करा देंगे ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, अभी फेज–9 की कोई स्वीकृति नहीं है। फेज–8 तक हमें स्वीकृति मिली है, जिसमें 123 मार्ग स्वीकृत हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, फेज–9 की स्थिति क्या है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 275 मार्गों की डी0पी0आर0 बन गयी है, अभी इनमें स्वीकृतियां नहीं हुई हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सड़क की चौड़ाई के मानक क्या हैं ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, सड़कों की चौड़ाई का मानक 9 मीटर होता है, परन्तु कहीं–कहीं पर यह कम भी होता है, चूँकि जहाँ पर वन क्षेत्र आता है, वहाँ पर इसे कम भी किया जाता है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितना कम किया जाता है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह लगभग 7 मीटर तक कम किया जाता है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो फेज–1 से लेकर 8 तक कुल 5627.73 किलोमीटर की बात कही गयी है कि मोटर मार्ग स्वीकृत हैं, इसके लिए कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है और दूसरा प्रश्न है कि इसके सापेक्ष कितना धन खर्च हुआ है और तीसरा प्रश्न है कि कितने फेजों में कार्य चल रहा है और इन फेजों के अन्तर्गत कुल कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न एक–एक कर के बोलें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक जो हमें कुल धन उपलब्ध हुआ है, वह कुल 809.23 करोड़ रू0 मिला है, इसके सापेक्ष जो खर्चा हुआ है, वह रू0 751.70 करोड़ खर्च किया और रू0 332.07 करोड़ राज्यांश है और रू0 751.70 करोड़ केन्द्रांश खर्च किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो रू0 751.70 करोड़ की बात कही है, इसके अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़क बन कर तैयार हो गयी है ? मान्यवर, यह तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा प्रश्न है कि कितने फेजों में कार्य चल रहा है और कितना इस पर व्यय हुआ है ?

डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह तो भ्रामक जवाब आ रहा है, इस तरह से तो सारी सड़कें पूरी हो गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, तो कहा जा रहा है कि 809 करोड़ रू0 के सापेक्ष 751.70 करोड़ रू0 खर्च किया जा चुका है। मान्यवर, इस तरह से देखा जाय तो कोई कार्य बाकी है ही नहीं। वर्तमान में कितने फेजों पर कार्य चल रहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, फेज–1 के सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं और फेज–2 में 91 कार्य पूर्ण हैं और 4 कार्य प्रगति पर हैं। फेज–3 में 43 कार्य पूर्ण हैं और 3 कार्य प्रगति पर हैं। फेज 5,6 में 69 कार्य पूर्ण और 10 कार्य प्रगति पर हैं और 5 में 65 कार्य पूर्ण और 35 कार्य प्रगति पर हैं। मान्यवर, एक कार्य निविदा प्रक्रिया में है तथा एक निरस्त किया गया है। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, फेज–1 और फेज–2 कौन से वर्ष में शुरू हुए, यह तो बता दें ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। कितना पैसा अभी तक खर्च हो चुका है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें, पूरी बात तो आने दीजिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि भी बता दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इतनी अलग–अलग सड़कें हैं, उनकी तिथि कैसे बताई जा सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप माननीय बेहड़ जी के प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब सड़कों के कार्य अभी चल रहे हैं, आपका कहना है कि 809 करोड़ रू0 में से 751 करोड़ रू0 खर्च हो गया है, जो–जो निर्माण चल रहे हैं, उन पर कितना व्यय हुआ है ? यदि इसको बतायेंगे तो अन्तर सामने आ जायेगा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि फेज–1 से लेकर फेज–8 तक कई काम चल रहे हैं। यदि अधिकतर काम चल ही रहे हैं तो यह 751 कैसे खर्च हो गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रही हैं, आप सुन लीजिये।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, अब तक कुल स्वीकृति लम्बाई 5827.73 कि0मी0 है, जिसमें से 1553.86 पैसा स्वीकृत हुआ था। उसके सापेक्ष हम 899 खर्च कर चुके हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अभी तो आपने 809 बताया, अब यह 899 कैसे हो गया ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 809 वही तो होगा, 800.99, यह 809 ही तो होगा। आप बताईये ना फिर और क्या होगा ? (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, इसमें समझने की क्या बात है, प्वाइंट तो जहाँ पर लगेगा वहीं पर

लगेगा ना। माननीय पन्त जी, यह फार्मेसी नहीं है, यह मैथमैटिक्स है, मैथ में जहाँ पर प्वाइंट होता है, वहीं पर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मर्जी आये 809 कर दिया और जब मर्जी आये 899 कर दिया।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 2970 कि0मी0 सड़कों का निर्माण हो गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, कुछ श्रवण दोष हो गया है, माननीय मंत्री जी अब वही बता रही हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि एक बार सरकार के लोगों को यह सिखवा दीजिये कि प्वाइंट कहाँ लगता है और जोड़–घटाना कैसे किया जाता है या फिर अधिकारी पूरे आँकड़े शब्दों में लिखकर मंत्रियों को दे दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इसमें गलत क्या है, 800.99 को 809 ही बोला जाता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने संशोधन कर दिया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, संशोधन कहाँ कर रही हैं, वह तो और उल्टा कह रही हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब तो क्लीयर हो गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक शंका है, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि वर्ष 2011 में कुल 183 सड़कें, कुल 3227.05 कि0मी0 का निर्माण किया जा रहा है। तो मान्यवर, 809 और 751 मान्यवर, जब 3200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था तो फिर पैसा कहाँ से खर्च हो गया 751 करोड़, 809 करोड़ के सापेक्ष में। जब

3227 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जारी है तो मान्यवर, पैसा कहाँ से पूरा होगा, खर्च कहाँ से होगा। इसका मतलब अधिकारियों ने खर्च दिखा दिया और मौके पर काम ही नहीं हुआ। ये जवाब में है, माननीय मंत्री जी के जवाब में है। (व्यवधान) इसकी तो जाँच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को बोलने का अवसर दिया जाय। किस फेज में कितना खर्च हुआ, वह बताएंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बोलने से पहले ही आप आपत्ति करने लगते हैं। इतना उतावलापन ठीक नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी के पास जब से आबकारी विभाग आया है, वे गणित समझाने लगे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, 3227.05 किलोमीटर सड़कें निर्मित हो चुकी हैं, बाकी का निर्माण किया जा रहा है, ये पूर्ण हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो इसका था, वो पूरा हो गया है। तो बाकी बचा क्या, फिर तो 6000 हो गयी, फिर तो 5000 से भी 1000 क्रास हो गया। मान्यवर, इसे स्थगित कर दें। इस पर जाँच के आदेश भी होने चाहिए, क्योंकि यह पूरा का पूरा जाँच का मामला है। इसमें पैसा ड्रा कर लिया गया है और मौके पर काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दीजिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कि0मी0 5627.73 फेज–8 तक स्वीकृति थी हमारी, उसमें कि0मी0 3227.05 सड़कें हमारी बनकर तैयार हो गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात पूरी आने दीजिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। अगर 3227 कि0मी0 की सड़कें बनकर तैयार हो गयी हैं तो बाकी सड़कों पर कितना पैसा खर्च होगा ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 373 मार्ग अभी बनने शेष हैं। उस पर 2468 रूपये और खर्च होगा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, 2400 किलोमीटर सड़क बाकी है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार 2400 किलोमीटर सड़क बाकी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय तिलक राज बेहड जी का अनुपूरक प्रश्न है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से पहले भी माननीय मंत्री जी से जानना

चाहा था, इस प्रश्न का उत्तर आया है कि 3227 कि0मी0 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। जब कि इसी के अन्दर लिखा है कि सड़कों के निर्माण का कार्य अभी जारी है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह कि कितने कि0मी0 सड़कों का निर्माण कार्य होना है, निर्माणाधीन पर कितना व्यय बाकी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको फिर बता दीजिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी कुल स्वीकृत सड़कें 743 थी, जिनकी कुल लम्बाई 5627.73 कि0मी0 थी, उसमें स्वीकृत धनराशि रू0 1553.86 करोड़ थी, जिसमें से रू0 800.99 करोड़ व्यय हो गया है और और 370 मार्ग पूर्ण हो गये हैं, जिनकी लम्बाई 3227.05 कि0मी0 है। इसमें फेज–09 में 112 सड़कें 500 प्लस की आबादी के लिये हैं और 275 सड़कें ढाई सौ से अधिक की हैं, उनकी डी0पी0आर0 तैयार कर ली है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पूरा जवाब आ ही नहीं रहा है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूरा जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो लिखित उत्तर सदन के समक्ष आया है, वह यह आया है कि 5627.73 कि0मी0 मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने जो आँकड़ा दिया है वह सात हजार का दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बार फिर उत्तर दे दीजिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कुल 743 कार्यों की स्वीकृति हुई थी, जिनकी कुल लम्बाई 5627.73 कि0मी0 थी, जिसकी स्वीकृत लागत 1553.86 करोड़ रूपये थी और 2011 तक इसमें रू0 800.99 करोड़ व्यय हो गया है, जिसमें 370 मार्ग थे, जिनकी लम्बाई 3227.05 कि0मी0 है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें कुल कितना व्यय हुआ ? (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं एक ही सवाल जानना चाहता हूँ कि कुल कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं, उसके ऊपर कितना व्यय होना है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 1553.86 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ था, उसमें से रू0 800.99 करोड़ खर्च हो चुका है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछ रहा हूँ कि कितनी निर्माणाधीन सड़कें हैं, उनके ऊपर कितना व्यय होना है ? यह तो माननीय मंत्री जी बता ही नहीं रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रही हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय मंत्री जी, कभी कह देती हैं 3200 हैं, फिर कह देती हैं 2400 कि0मी0 बाकी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रही हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 375 कार्य शेष हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 375 कार्यों पर अभी कितना पैसा खर्च होना है, कितना पैसा बचा है, तभी तो अन्तर पता चलेगा। मान्यवर, 809 करोड़ रूपये की बात हो रही है और 751 खर्च

हो गया। मान्यवर, मौके पर कितना काम हुआ है, यह जाँच का विषय है। जो 375 कार्य बाकी हैं, उस पर कितना व्यय होना है ? जो 375 कार्य बाकी हैं, उन पर कितना व्यय होना है ? 100 करोड़ होना है, 30 करोड़ होना है या 20 करोड़ होना है ? तभी तो पता लगेगा कि 751 का आँकड़ा सही है या गलत है। मान्यवर, यह तो बता दें कितना व्यय होना है ? सही उत्तर नहीं आ रहा है, प्रश्न स्थगित करवा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर आ चुका है। जाँच की अलग प्रक्रिया है। कुछ और जानकारी चाहिए तो उसकी अलग से सूचना दीजिए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, गलत उत्तर दिया जा रहा है तो जाँच की बात तो कहनी ही पड़ेगी। गलत उत्तर को सही कैसे मान लिया जाए, गलत उत्तर तो ग्राह्य होता नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर कर दिया है, फिर भी उस पर कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा है। फेज–1 से लेकर फेज–8 तक कुल 743 कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई। इनकी कुल लम्बाई 5627.73 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रू0–1553.86 करोड़ है। इस स्वीकृत लागत के सापेक्ष माह फरवरी, 2011 तक रू0–800.99 करोड़ व्यय कर दिया, जिसके माध्यम से 370 मार्ग जिनकी लम्बाई, 3227.05 कि0मी0 है, का निर्माण करवाया जा चुका है, बाकी जो अवशेष कार्य हैं, उन्हें शीघ्र करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। फिर भी माननीय मंत्री जी बता दें तो मैं समझता हूँ कि हाऊस बहुत प्रफुल्लित रहेगा। वन अधिनियम में कितने मार्ग अभी बाधित हैं और मार्गों की स्वीकृति नहीं बन पा रही है ? वन अधिनियम के कारण कितने मार्गों की स्वीकृति नहीं बन पा रही है ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? वन अधिनियम के तहत कितनी सड़कें लम्बित पड़ी हुई हैं ? जो 375 मार्ग निमार्णाधीन हैं, क्या वे वन अधिनियम की परिधि के बाहर हो चुके हैं ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, 373 कार्यों के सापेक्ष 213 कार्य प्रगति पर हैं अवशेष 160 में दो कार्य अन्य योजनाओं से बनने के कारण निरस्त किये जाने हैं तथा 49 पर निविदा आमंत्रित एवं शेष 109 वन भूमि के कारण लम्बित हैं, जिनके वन भूमि के प्रस्ताव का विवरण इस प्रकार है। मान्यवर, 21 मार्गों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है,

18 मार्ग भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं, 5 मार्ग नोडल अधिकारी स्तर पर और 17 मार्ग प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षण स्तर पर हैं।

मान्यवर, 12 मार्ग भारत सरकार द्वारा निरस्त किये गये हैं, 36 मार्गों के लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

ऊधमसिंह नगर में नानक सागर डेम के निर्माण से राजस्व ग्रामों की अधिग्रहित सिंचित भूमि तथा विस्थापितों का पुनर्वास

*1–श्री गोपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नानक सागर डेम का निर्माण किस वर्ष हुआ था ?

बाँध के निर्माण में थारू जनजाति के कौन–कौन से राजस्व गाँवों की भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी ?

तथा विस्थापित परिवारों को सरकार द्वारा किन–किन गाँवों में बसाया गया था?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सितारगंज तहसील की थारू जनजाति गाँव गिधौर की भूमि भी सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या ग्राम गिधौर के थारू जनजाति के विस्थापित परिवारों को सरकार द्वारा अन्यत्र भूमि प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो कहाँ ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सैनिक कल्याण राजस्व, भू–प्रबन्धन एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जी हाँ, नानक सागर बाँध का निर्माण वर्ष 1959–62 के मध्य हुआ था।

बाँध निर्माण हेतु तहसील खटीमा के राजस्व ग्राम फुलैया, सड़ासड़िया, भूराभूड़िया, खड़ाजड़िया, बिसौटा, गांगी एवं जंगलजोगीढेर तथा तहसील सितारगंज के राजस्व ग्राम भिकमपुर कुआखेड़ा, किसनपुर, बरकीडाण्डी, देवीपुरा, ऐंचता की आंशिक भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई थी।

उक्त ग्रामों की आँशिक भूमि ही हस्तान्तरित हुई थी, इस कारण इन ग्रामों का विस्थापन नहीं किया गया।

जी हाँ।

ग्राम गिधौर के एक परिवार को ग्राम श्रीपुरबिछुआ में भूमि आवंटित कर विस्थापित किया गया था।

शेष 23 परिवारों द्वारा नियत 15 दिन की अवधि के भीतर सम्पर्क नहीं किया गया, इस कारण उनके विस्थापन पर विचार नहीं किया जा सका।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बाँध निर्माण हेतु तहसील खटीमा के राजस्व ग्राम फुलैया, सड़ासड़िया, भूराभूड़िया, खड़ाजड़िया, बिसौटा, गांगी एवं जंगलजोगीढेर तथा तहसील सितारगंज के राजस्व ग्राम भिकमपुर, कुआखेड़ा, किसनपुर, बरकीडाण्डी, देवीपुरा, ऐंचता की आँशिक भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कौन–कौन से गाँव उल्लिखित हैं और किस–किस गाँव की कितनी–कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी और कौन–कौन से परिवारों को दूसरे गाँवों में विस्थापित किया गया है तथा शेष 23 परिवारों को कहाँ बसाया गया है ?

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, बाँध निर्माण हेतु तहसील खटीमा के राजस्व ग्राम फुलैया, सड़ासड़िया, भूराभूड़िया, खड़ाजड़िया ये जितने भी गाँव हैं। (व्यवधान) इन अधिकाँश

गाँव की आँशिक भूमि ली गयी है। जहाँ तक कितनी–कितनी ली गयी है (घोर व्यवधान) बहुत थोड़ी भूमि ली गयी है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पर्ची आ गयी इसको पढ़ लो। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इसमें भी वही है, आंशिक भूमि ही है। (हँसी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी की बात आने दें।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कितनी–कितनी भूमि किन–किन परिवारों की अधिग्रहीत की गयी है ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तृत काम है। यदि एक–एक परिवारों के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जायेगा।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी, उन परिवारों को कहाँ–कहाँ बसाया गया यह मैंने पूछा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, जिन गाँवों की सूची मैंने बतायी है, उनकी आँशिक भूमि होने के कारण से उनका पुनर्वास नहीं किया गया, उनको कम्पन्सेशन दिया गया। (व्यवधान) मैं पुनर्वास गाँव के बारे में बता रहा हूँ। एक गाँव गिधौर को छोड़कर अन्य ग्रामों की आँशिक भूमि ही हस्तांतरित हुई थी, इस कारण इन ग्रामों का विस्थापन नहीं किया गया। तहसील सितारगंज के गाँव की सम्पूर्ण भूमि बाँध निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई थी एवं इस कारण इनके विस्थापन/पुनर्वास की प्रक्रिया सम्पादित की गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, ग्राम गिधौर में निर्धारित 15 दिन की अवधि दी गयी थी ग्राम वासियों को कि वे आवेदन करें अपनी–अपनी भूमि का, किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। मान्यवर, उस एक व्यक्ति को, श्री पुरविचवा को, नानक सागर के निकट ग्राम गांगी में दी गयी थी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) लगभग 350 एकड़ अर्जित भूमि के बदले उन्हें अन्यत्र भूमि नहीं दी गई थी। अतः नानक सागर (कई माननीय सदस्य के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब नहीं आ रहा है ये तो पढ़ रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण माननीय अदालत में विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण सन् 1952 व 1962 का है। उस समय 15 दिन का अवसर दिया गया था। उन्होंने 15 दिन में अवगत नहीं कराया, केवल एक व्यक्ति ने आवेदन किया था, उनको विस्थापित कर दिया गया। अब यह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मंत्री जी ने 23 परिवारों की बात की, कि वे अवधि के भीतर नहीं आए, क्या उनके नियमितिकरण के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्यान्न ढुलान का भाड़ा निर्धारण तथा नियमित भुगतान की व्यवस्था

*1–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत खाद्यान्न ढुलान का भाड़ा निर्धारण कब तथा किस आधार पर किया गया ?

क्या पैदल तथा घोड़ों द्वारा खाद्यान्न के ढुलान की दर का निर्धारण दूरी के आधार पर नहीं किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी खाद्यान्न का ढुलान भाड़ा के नियमित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्यों तथा नियमित भाड़ा कब तक दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य में बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम तक ढुलान भाड़ा प्रति वर्ष टेण्डर आमंत्रित कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं एवं आन्तरिक गोदाम से उचित दर दुकानों तक का भाड़ा जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य के विभिन्न जनपदों में खाद्यान्न गोदाम से उचित दर दुकानों तक का खाद्यान्न ढुलान भाड़ा वर्ष 2001 से 2010 तक की अवधि में समय–समय पर निर्धारित हुआ है।

पैदल तथा घोड़ों द्वारा खाद्यान्न के ढुलान की दरें दूरी के आधार पर निर्धारित हुई हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न ढुलान भाड़े का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। †

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शेर सिंह गढ़िया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पैदल तथा घोड़े द्वारा खाद्यान्न के ढुलान की दरों का निर्धारण कब किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। दूसरा जो इन्होंने लिखा है वर्ष 2001 से 2010 तक खाद्यान्न के भाड़े का निर्धारण, इसमें समय सीमा इसके अन्तर्गत नहीं है और तीसरा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न ढुलान भाड़े का जो भुगतान माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है, यह तथ्य सत्य से परे है।

---

† (देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 101 पर)

श्री अध्यक्ष–

अगर सत्य से परे है तो माननीय गढ़िया जी इसका अलग से प्राविधान है। अगर माननीय मंत्री जी ने सही उत्तर नहीं दिया, उसके लिए आप अलग से दे सकते हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आपका प्रश्न तो कोई है नहीं। लेकिन हस्तक्षेप पूरा होता है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि आपने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि पैदल तथा घोड़े द्वारा खाद्यान्न से ढुलान की दरें दूरी के आधार पर निर्धारित की गई हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितना भुगतान किया गया और किस दर से किया गया ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि जनपदवार भाड़े का निर्धारण होता है और जो भाड़े का निर्धारण है, जनपदवार जिलाधिकारी के माध्यम से तय होता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक जनपद का जानना चाहते हैं तो वह अलग विषय है, क्योंकि राज्य की अलग दरें होती हैं और केन्द्र की अलग दरें होती हैं, घोड़ों और खच्चर की अलग–अलग दरें हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो मैंने पूछा उसको देख लें, मैंने यह पूछा कि पैदल तथा घोड़े द्वारा खाद्यान्न के ढुलान की दरें दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती हैं तो पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितना भुगतान किया गया और किस दर से किया गया, जब दर नहीं तो कितना भुगतान किया गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूँ कि प्रत्येक जनपदवार अलग–अलग होता है। श्रीमन्, जनपद बागेश्वर में जो निर्धारण हुआ है...।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जनपदवार नहीं जानना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना भुगतान हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितने रूपये का चालान लगाया जायेगा, उसका भुगतान होगा, पृथक से उसका भुगतान नहीं होता है। (व्यवधान) उसकी दर का निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं, आप दर जानना चाहेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं दर नहीं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

बात स्पष्ट हो गई है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हम को नहीं सुनेंगे, केवल पक्ष वालों की बात सुनेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सीधे–सीधे पीठ पर आक्षेप है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा कि पैदल तथा घोड़े द्वारा खाद्यान्न के ढुलान की दरें दूरी के आधार पर जो भुगतान किया तो वह बता दें कि कितना भुगतान किया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने बताया कि जनपदवार दरों का निर्धारण होता है और दर जो जनपदवार निर्धारित की जाती है, जो चालान लगता है, उसका भुगतान हो जाता है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाड़ा इसमें सम्मिलित नहीं होता है, जब चालान लगता है। मान्यवर, यदि सम्मिलित भी होता है तो निश्चित रूप में सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने भाड़े में कितना भुगतान किया। इससे बड़ा गम्भीर विषय और क्या हो सकता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अब यह कितना भुगतान किया गया है, यह मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि आपने ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 का सवाल पूछा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 का सवाल नहीं पूछा है। आप कार्यवाही को देख सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तीन तरह से खाद्यान्न आया, ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें 4 करोड़ 51 लाख रू0 अभी तक भुगतान किया जा चुका है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष का कौन सा भुगतान आप माँग रहे हैं ? क्या आप वर्ष 2009–2010 का माँग रहे हैं वर्ष या 2010–2011 का माँग रहे हैं ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वर्ष 2009–2010 का घोड़ों का भुगतान माँग रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2009–2010 में कुल भुगतान किया गया है, वह 47 लाख 35 हजार रू0 है।

श्री शेर सिंह गढ़िया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से खाद्यान्न ढुलान के भाड़े का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है, यह प्रश्न पूछा था। जिसका उत्तर आया कि नियमित रूप से किया जाता है। लेकिन मैं बागेश्वर जनपद के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ कि अन्त्योदय के अन्तर्गत 8 लाख 87 हजार रू0 अभी इस वर्ष भुगतान अवशेष भाड़ा जनपद के अंदर है। मान्यवर, इसके अलावा एस0जी0आर0वाई0 की एक योजना बहुत पहले चलती थी, उसमें अभी 15 लाख रू0 दुकानदारों का भाड़ा अवशेष है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह भाड़ा किस कारण से अवशेष है और इसका भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, अधिकांश भुगतान कर दिया गया है, फिर भी जनपद बागेश्वर की जो शिकायत है तो उसकी जाँच करवा दी जायेगी और कोई ऐसी स्थिति होगी तो उसे दूर कर दिया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम चण्डाक में द लैप्रोसी मिशन ट्रस्ट इण्डिया एवं द मिशन लैप्रोसी के नाम अंकित कुल भूमि तथा पट्टा विहीन खातेदारों की भूमिधरी अधिकार की सम्पत्ति हेतु कार्रवाई

*2– श्री मयूख सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम चण्डाक के अन्तर्गत द लैप्रोसी मिशन ट्रस्ट इण्डिया एवं मिशन द लैप्रोसी के नाम कुल कितनी भूमि अंकित हैं ?

इस भूमि को किस प्रयोजन से सरकार द्वारा इस संस्था को दिया गया था ? क्या यह संस्था वर्ष 1996–97 से अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही हैं ?

क्या वर्ष 1985 के शासनादेश संख्या–यू0ओ0 260/रा0 1184/788/15/17, दिनांक–08.03.1985 तथा परिषदादेश संख्या–3440 जी0 5–474/75, दिनांक–22 /30 मई, 1985 के तहत पट्टाधारक द्वारा निर्धारित अवधि में पट्टा भरा गया है ? यदि हाँ, तो प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी खातेदारों के भूमिधरी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

ग्राम चण्डाक के अन्तर्गत द लैप्रोसी मिशन ट्रस्ट इण्डिया एवं मिशन द लैप्रोसी के नाम जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी–1 एवं श्रेणी–6(3) तथा गैर जमींदारी विनाश

खतौनी श्रेणी–4 एवं श्रेणी–5 के अंतर्गत कुल 1172 नाली 10 मुट्ठी भूमि अभिलेखों में दर्ज है।

उक्त भूमि अस्पताल एवं आवासीय भवन बनाकर गरीब, निर्बल व्यक्तियों तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार एवं देखभाल के लिए संस्था को प्रदान की गई थी। संस्था द्वारा प्रश्नगत प्रयोजन को पूरा नहीं किया जा रहा है।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–117 क के अंतर्गत इसमें से कुछ भूमि के पट्टे के निष्पादन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु गैर जमींदारी विनाश खतौनी श्रेणी–4 एवं 5 में अंकित खातेदारों द्वारा शासनादेश दि0–8.3.1985 एवं परिषदादेश दिनांक–22/30 मई, 1985 के अंतर्गत जहाँ आवश्यक था, वहाँ भी पट्टा निष्पादन की कार्यवाही नहीं हुई है।

प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित वाद मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है एवं इस संबंध में मा0 न्यायालयों के निर्णय उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 'मिशन द लैप्रोसी' पिथौरागढ़ की जो भूमि है, जोकि पट्टे पर आवंटित की गयी थी, उसमें कितने आवासीय और गैर आवासीय भवन बने हैं ? मान्यवर, इस भूमि में लैप्रोसी मिशन के बाद किसका कब्जा है ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार अवगत है कि लैप्रोसी मिशन द्वारा उक्त भूमि को बेच दिया गया है। इसमें मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या किसी विशेष प्रयोजन के लिए दी गयी भूमि को कोई संस्था बेच सकती है या नहीं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम मिशन चण्डाक के अन्तर्गत 'लैप्रोसी मिशन ट्रस्ट' को जो जमीन दी गयी थी, इस पर इनका कब्जा बहुत समय पूर्व से चला आ रहा है। मान्यवर, जिस समय इनको यह जमीन दी गयी थी, इससे पूर्व से ही इस पर ये काबिज थे और यह भूमि जिस मकसद से इन्हें दी गयी थी वर्ष 1995–96 तक उस मकसद से कार्य कर रहे थे। यह शिकायत पायी गयी थी कि उसके बाद यह कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार ने इस पर कार्यवाही करने की कोशिश की और इसी अवधि में इनसे लगभग 155 नाली भूमि अधिग्रहीत की गयी। इसका इनको कम्पनसेशन दिया गया। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या इन्होंने जमीन बेची है, इस सन्दर्भ में तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के संज्ञान में बेचने का ऐसा कोई मामला है नहीं, फिर भी यदि ऐसा कोई मामला हो तो देख लेंगे। मान्यवर, अभी तक ऐसा मामला कोई संज्ञान में नहीं है।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि उस सम्पत्ति में कितने आवासीय और गैर आवासीय भवन बने हुए हैं और इन भवनों में किसका कब्जा है और माननीय

मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में उस भूमि को बेचने का प्रकरण नहीं है तो क्या स्थानीय प्रशासन ने उस भूमि को अपने कब्जे में लिया है और उन अवैध कब्जों को हटाया है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, वर्ष 2004 में पावर ग्रिड कार्पोरेशन को इस संस्था से कुछ जमीन निकाल कर दे दी गई थी, जो 155 नाली थी, वह मैंने बताया, इसके अलावा इस संस्थान से और कोई भूमि नहीं दी गई।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं तो इस भूमि में बने आवासीय भवनों और अवैध कब्जों की बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो जमीन की बात ही नहीं कर रहा हूँ।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, जब संस्था काम नहीं कर रही थी तो...।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं तो यह जानना चाह रहा हूँ कि...।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मयूख जी, पहले माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिये, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो आप बीच में ही क्यों बोल रहे हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इसमें कोशिश की गई, लेकिन यह भी ठीक उसी समय अदालत में चले गये और इस समय यह प्रकरण अदालत का है, इसलिये इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूँ कि विवादित भूमि अदालत में विचाराधीन है। यह प्रकरण उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ की अदालत में विचारार्थ गया था और उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि इस भूमि में चूंकि पट्टाधारक ने नवीनीकरण नही किया है और उसको सरकार में निहित करते हुये, क्योंकि उसमें चार हजार से अधिक देवदार के पेड़ हैं, तो उन वृक्षों को देखते हुये और लैप्रोसी मिशन की सम्पत्ति को देखते हुये, उस सम्पत्ति को सरकार में निहित करने का आदेश दिया था, किन्तु स्थानीय प्रशासन ने इस प्रकरण को ऊपरी अदालत के फैसले के बाद निचली अदालत में तहसीलदार, डीडीहाट के पास स्थानान्तरित कर दिया और उसे पुनर्विचार के लिये रखा गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एस०डी०एम० के फैसले को तहसीलदार द्वारा सुना जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही यह तहसीलदार के यहाँ आया है, माननीय उच्च न्यायालय का ही फैसला इसमें आना बाकी है।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह राजस्व का मामला है और राजस्व न्यायालय का निर्णय इसमें आ चुका है और एस0डी0एम0 के फैसले को तहसीलदार द्वारा चैलेंज कराया जा रहा है। मान्यवर, यह इस प्रदेश का पहला मामला होगा, जिसमें एस0डी0एम0 के फैसले का तहसीलदार के यहाँ चैलेंज कराया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मात्र इतना जानना चाहा है कि जो एस0डी0एम0 का फैसला था, उसे तहसीलदार के यहाँ चुनौती दी गई, तो क्या तहसीलदार उस प्रकरण को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही यह तहसीलदार को दिया गया है। (व्यवधान)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, दो कोर्ट में मामला चल रहा है, एक बिन्दु मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एस0डी0एम0 के फैसले का तहसीलदार की कोर्ट में ले जाया जा रहा है और यह भी पिथौरागढ़ जो विवादित क्षेत्र है, उससे बाहर ले जाया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही यह मामला तहसीलदार, डीडीहाट के यहाँ सुनवाई के लिये भेजा गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह फैसला नहीं है, यह उनका आदेश है। उनके आदेश से ही यह रैवन्यू कोर्ट में गया है, अब वह इसमें सक्षम है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो न्यायिक प्रक्रिया में कभी भी नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि यह विचाराधीन है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि

पर्टीकुलर एक तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई का निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है। यह सम्भव ही नहीं है।...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री मयूख सिंह 'वेल' में आ गये और अपनी बात कहने लगे।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–आपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण आपने–स्थान पर जाकर बैठ गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय जिस विवादित भूमि से सम्बन्धित है, वह भूमि 1172 नाली है और लैप्रोसी मिशन को यह भूमि प्रबन्धन के लिए दी गयी थी और इसमें श्रेणी–1 की 968 नाली 6 मुट्ठी, श्रेणी–6(3) की 117 नाली 4 मुट्ठी, श्रेणी–4 की 46 नाली 5 मुट्ठी, और श्रेणी–5 की 31 नाली 8 मुट्ठी है। इसमें पट्टा निष्पादित नहीं हुआ है, न ही इसका नवीनीकरण किया जा सकता है, ये केवल प्रबन्धन के लिए दी गयी है। चूँकि इससे सम्बन्धित जो भी विवाद माननीय सदस्य ने यहाँ पर रखा है श्रीमन्, कि यह तहसीलदार की जाँच में एस0डी0एम0 की कोर्ट का फैसला या जो भी विषय यहाँ पर आया है, इस सम्पूर्ण प्रकरण की हम निष्पक्ष जाँच करवा लेंगे श्रीमन्। चूँकि यह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसमें विस्तृत चर्चा श्रीमन्, नहीं हो सकती है। लेकिन जो विवाद के विषय आपने उठाये हैं, उन विषयों पर पृथक से हम जाँच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का आश्वासन आ गया है कि सरकार जाँच करा लेगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब तहसीलदार के यहाँ मामला विचाराधीन है और प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित वाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी और तहसीलदार, एस0डी0एम0 के आदेश के बाद उसकी सुनवाई कर रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय उठाये गये हैं श्रीमन्, उनकी जाँच होगी, क्योंकि मामला न्यायालय में है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने जाँच के लिए कह दिया। (घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इसे बचाया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह आरोप सरासर निराधार है। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन जी 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। जाँच में आ जायेगा सारा मामला।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वर्ष 2004 में पावर ग्रिड को यह जमीन दे दी गयी, जबकि बेचने का अधिकार उसको नहीं था, पैसा उसको दे दिया, हम सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कराएंगे। आखिर किन परिस्थितियों में वो पैसा दिया गया, इस पूरे प्रकरण की जाँच करायी जायेगी। वर्ष 2004 में पावर ग्रिड को वो जमीन सौंप दी गयी और पावर ग्रिड को पैसा दे दिया गया, आखिर किन परिस्थितियों में वो पैसा दिया गया, सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करायी जायेगी।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह भी 56 घोटालों में शामिल किये जाने योग्य है। आप जिसकी जाँच कराने की बात कहेंगे, उसकी जाँच करा देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, वर्ष 2004 में जिस तरह से भूमि गलत तरीके से हस्तान्तरण की गई, यह जाँच का विषय है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं प्रकरण देख लूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 खाद्यान्न के मानकानुसार नियमित वितरण हेतु कार्यवाही

*3–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 खाद्यान्न का वितरण नियमित तथा मानक के अनुसार कराये जाने के लिए सरकार ने कब तथा क्या कदम उठाये हैं तथा उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बी0पी0एल0 परिवारों हेतु खाद्यान्न मानक के अनुसार नियमित रूप से वितरित कराया जा रहा है, परन्तु ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा के उपलब्ध न होने के कारण कार्डधारकों को खाद्यान्न मानक के अनुसार प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न नियमित रूप से वितरित कराने हेतु खाद्यान्न के उठान एवं वितरण का सत्यापन कराया जा रहा है। टॉस्क फोर्स कमेटियों द्वारा गोदामों एवं दुकानों की चैकिंग की जा रही है। खाद्यान्न के वितरण

नोट:– तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

का प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है। खाद्यान्न के उठान एवं वितरण का रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है। कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुयें समय पर व सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। †

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नई पर्यटन नीति बनाने पर विचार

श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं के अनुरूप है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार नई पर्यटन नीति बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक नीति बना ली जायेगी ?

आबकारी एवं पर्यटन एवं गन्ना व शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय जनपदों में कॉमर्शियल/घरेलू गैस की भारत सरकार से आपूर्ति बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही व परिणाम

*5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस की कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार के द्वारा आपूर्ति बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या केन्द्र सरकार द्वारा आपूर्ति बढ़ायी गयी है ,

यदि हाँ, तो कितनी ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई और योजना आपूर्ति बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, राज्य में भारत सरकार के अधीन गैस कम्पनियों के सक्षम प्रतिनिधियों से घरेलू और कॉमर्शियल गैस की कमी को दूर करने तथा आपूर्ति बढ़ाये जाने हेतु समय–समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी।

जी हाँ। आपूर्ति बढ़ाये जाने हेतु राजीव गाँधी एल0पी0जी0 ग्रामीण वितरक योजना के तहत दूरदराज के क्षेत्रों के अन्तर्गत 57 गैस वितरण केन्द्र खोले जाने हेतु गैस कम्पनियों द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

---

† (देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 102 पर)

घरेलू उपभोक्ताओं में 7.33 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष गैस आपूर्ति में मात्र 5.91 प्रतिशत की वृद्धि जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 के मध्य की गयी। जबकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं की इसी अवधि में 13.67 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष गैस आपूर्ति में 20.17 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ाने हेतु नीति तथा रोजगार/व्यवसाय की उपलब्धता

*6—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो साहसिक पर्यटन योजनाओं के माध्यम से जनपदवार कितने लोगों को रोजगार या व्यवसाय उपलब्ध कराया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की नीति प्रदेश की पर्यटन नीति में सम्मिलित है।

साहसिक पर्यटन योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2007—08 से अब तक जनपदवार रोजगार के अवसर निम्नानुसार सृजित हुए हैं :—

क्रमांक	जनपद का नाम	लाभार्थी/रोजगार
1.	देहरादून	865
2.	टिहरी गढ़वाल	885
3.	उत्तरकाशी	764
4.	पौड़ी	512
5.	चमोली	425
6.	रूद्रप्रयाग	534
7.	हरिद्वार	556
8.	नैनीताल	676
9.	अल्मोड़ा	493
10.	पिथौरागढ़	1144
11.	चम्पावत	113
12.	बागेश्वर	605
13.	ऊधमसिंह नगर	297
	योगः	7869

प्रश्न नहीं उठता

न0 पा0 पिथौरागढ़ व संलग्न गाँवों तथा आर्मी कैण्ट द्वारा नैनीपाताल नामक स्थान पर कूड़े के निस्तारण से उत्पन्न समस्यायें

*8–श्री मयूख सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि न0पा0 पिथौरागढ़ तथा संलग्न गाँवों व आर्मी कैण्ट के कूड़े का निस्तारण नैनीपाताल नामक स्थान रा0राजमार्ग 125 के किनारे खुले स्थान पर किया जाता है ?

क्या मा0 मंत्री के संज्ञान में है कि उक्त स्थान के नीचे लगभग आठ ग्राम पंचायत के लगभग 10 हजार लोग निवास करते हैं ?

और इन ग्राम पंचायतों के पेयजल स्त्रोत भी दूषित हो चुके हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कूड़े डालने के स्थान को अन्यत्र हटायेगी ?

क्या इस क्षेत्र के पेयजल स्त्रोत तथा सुवालेख गाड को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्यान्न कमी के कारण, कमी दूर करने के प्रयास एवं समस्या निवारण हेतु नीति

*9–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खाद्यान्न की कमी के क्या कारण हैं तथा खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए अभी तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

क्या सरकार राशन की कमी दूर करने के लिए कोई विशेष नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के बीपीएल एवं अन्त्योदय श्रेणी में पर्याप्त खाद्यान्न राज्य को प्राप्त हो रहा है। एपीएल श्रेणी में प्रचलित कार्डधारकों की अपेक्षा भारत सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न कम प्राप्त हो रहा है।

भारत सरकार से एपीएल श्रेणी में कम मिल रहे खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

टिहरी झील का वाटर स्पोर्ट्स एवं पर्यटन हेतु विकास

*10–श्री प्रीतम सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी झील को वाटर स्पोर्ट्स व पर्यटन के लिए विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

वि0 स0 कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत कण्वाश्रम को पर्यटन हेतु विकसित करने की योजना

1–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घोषणा संख्या–447 / 2009, दिनांक 24.11.2009 द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कण्वाश्रम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थल को विकसित करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

कण्वाश्रम क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से प्रथम चरण हेतु रु0 1.92 लाख के आगणन तथा द्वितीय चरण हेतु रु0 40.02 लाख की योजना के आगणन गठित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण की कार्यवाही हेतु रु0 0.51 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0 स0 कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत लैन्सडौन, कण्वाश्रम तथा भरतनगर (उतिर्छा) को पर्यटन हेतु विकसित करने की योजना

2–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घोषणा संख्या–448/2009, दिनांक 24–11–2009 पौडी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लैन्सडौन, कण्वाश्रम एवं भरतनगर (उतिर्छा) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त स्थलों को विकसित करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से प्रथम चरण हेतु रु0 1.92 लाख का आगणन तथा द्वितीय चरण हेतु रु0 40.02 लाख की योजना के आगणन गठित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण की कार्यवाही हेतु रु0 0.51 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

3–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

प्रथम मंगलवार के अतारांकित–65 में स्थानान्तरित।

4–श्री किशोर उपाध्याय–

द्वितीय बुधवार तक स्थगित।

सरकारी सस्ता खाद्यान्न विक्रेताओं को ढुलान का नियमित भुगतान न होने के कारण तथा उपाय

5—श्री शेर सिंह गढ़िया—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सरकारी सस्ता खाद्यान्न विक्रेताओं को ढुलान का भाड़ा नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि नियमित भाड़ा न मिलने के कारण कई दुकानदार सरकारी खाद्यान्न को समय पर नहीं उठाते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार यथा समय पर दुकानदारों को खाद्यान्न ढुलान भाड़ा मुहैया करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

उचित दर विक्रेताओं को ढुलान भाड़ा बिल प्राप्त होने तथा बजट उपलब्धता के अनुरूप नियमित रूप से दिया जा रहा है।

राज्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है कि ढुलान भाड़ा नियमित रूप से न मिलने के कारण विक्रेताओं ने खाद्यान्न समय पर न उठाया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आई0टी0बी0पी0 के जवानों को कैण्टीन की उपलब्धता व रोड परमिट की व्यवस्था

6—श्री मयूख सिंह—

क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन सर्विस की मंजूरी सी0पी0सी0 मैमो न0 27011/18/2006 आर0एन0डब्ल्यू, 18 सितम्बर, 2006 को दी गयी है, जिसमें आसाम राइफल तथा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवा निवृत्त सैनिकों को कैन्टीन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ?

यदि हाँ, तो क्या उत्तराखण्ड आबकारी विभाग द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में आई0टी0बी0पी0 के सेवा निवृत्त जवानों के लिए उक्त प्रयोजन हेतु रोड परमिट जारी करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तावत्।

उल्लिखित शासनादेश आबकारी विभाग में संज्ञानित नहीं है।

सरकार द्वारा ग्राम प्रहरियों की वेतन वृद्धि पर विचार

7– श्री मयूख सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में नियुक्त ग्राम प्रहरियों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है ? यदि हाँ, तो कितना ?

क्या सरकार ग्राम प्रहरियों के वेतन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक व कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं, राजस्व पुलिस के सहायतार्थ शासनादेश संख्या–35/राजस्व/2004, दिनांक 04.02.2004 के प्राविधान/व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में तैनात ग्राम प्रहरियों को प्रति माह ₹ 200 का मानदेय दिया जाता है।

जी हाँ,

वर्तमान में इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनैक्शन की योजना तथा अल्मोड़ा अन्तार्गत भिक्यासैंण में वितरित कनैक्शनों का वितरण

8– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन वितरित किये जाने हेतु कोई योजना बनाई गई थी ?

यदि हाँ, तो कितने परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में भी दिये गये गैस कनेक्शनों का विवरण क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

राज्य के चार सीमावर्ती जनपदों पिथौरागढ़ में–4599, चम्पावत में–6008, उत्तरकाशी में–2685 व चमोली में–1790 कुल–15082 निःशुल्क गैस कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को उपलब्ध कराये गये।

उक्त चार सीमावर्ती जनपदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी जनपद में निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जाने की योजना लागू नहीं की गयी है। फलस्वरूप जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में दिये गये गैस कनेक्शनों की संख्या शून्य समझी जाय।

9– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

प्रथम सोमवार के अतारांकित 101 में स्थानान्तरित

एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वि0स0 क्षेत्र भिक्यासैंण (अल्मोड़ा) के मन्दिर तथा धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

10–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत कितने मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के मन्दिरों का आगणन पर्यटन विभाग, अल्मोड़ा द्वारा स्वीकृति हेतु वर्ष–2008–09, 2009–10 में भेजा गया था ?

यदि हाँ, तो कितने स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया गया ?

क्या सरकार उक्त स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र में मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी पर्यटन विभाग अल्मोड़ा से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका पिथौरागढ़ अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा भूमि फ्री होल्ड कराने की व्यवस्था से लाभान्वित व्यक्ति, तथा भूमि फ्री होल्ड न होने पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

11–श्री मयूख सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका पिथौरागढ़ अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा भूमि फ्री होल्ड कराने की व्यवस्था के तहत अब तक कुल कितने व्यक्तियों द्वारा कितनी–कितनी भूमि पर फ्री होल्ड करने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शहर के अन्दर अभी तक कुल कितनी ऐसी भूमि है जिसे फ्री होल्ड कराना शेष है ?

क्या ऐसी भूमि पर कब्जेदार द्वारा फ्री होल्ड न कराने की स्थिति में सरकार उसे अपने में निहित कर लेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

कुल 547 व्यक्तियों द्वारा 47685.446 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड करने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है।

शहर के अन्दर अभी 2190001.946 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड कराना शेष है।

शासनादेश संख्या–437/V–आ0–2009–01(एन0एल0)08, दिनांक 1–3–2009 तथा शासनादेश संख्या–135/V–2010–01(एन0एल0)/2008, दिनांक 25–5–2010 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा नये राजस्व ग्रामों का गठन

12–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सरकार नये राजस्व ग्रामों के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कुल कितने ग्रामों का गठन होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, नये राजस्व ग्रामों के गठन के प्रस्ताव समय–समय पर शासन को प्राप्त

होते हैं। वर्तमान में लगभग 27 राजस्व ग्रामों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इन प्रस्तावों के सन्दर्भ में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्थापना से वर्ष 2010–11 तक उत्पादन शुल्क (आबकारी) की स्थिति तथा गुप्त सेवा व्यय का प्रयोग

13– श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्पादन शुल्क की स्थिति प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना से वर्ष 2010–11 तक की क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि भट्टियों से तात्पर्य क्या है ?

क्या उत्पादन शुल्क उक्त भट्टियों से भी वसूला जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार अवगत करायेगी कि 'गुप्त सेवा व्यय' किस रूप में प्रयोग किया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

अनुदान सं0–8 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2039–राज्य उत्पादन शुल्क में विभाग को अनुदान (बजट) प्राप्त होता है। राज्य स्थापना से वर्ष 2010–11 तक की उत्पादन शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष	अनुदान	व्यय
2001–02	37991	23521
2002–03	31918	26176
2003–04	39105	28678
2004–05	41997	30619
2005–06	45159	31065
2006–07	44708	39250
2007–08	49856	40514
2008–09	64274	59453
2009–10	77602	73284
2010–11 (जनवरी तक)	92316	70279

भट्टियों से तात्पर्य आबकारी विभाग में फील्ड स्तर पर नियुक्त कार्मिकों एवं कार्यालयों में होने वाले व्यय से है तथा राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भट्टियों से तात्पर्य आसवनियों से है।

जी नहीं।

उत्पादन शुल्क अनुदान सं0–8 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2039–राज्य उत्पादन शुल्क में विभाग का बजट का मद है। अतः मद्दियों से वसूले जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

'गुप्त सेवा व्यय' को अवैध मादक पदार्थों/नारकोटिक्स पदार्थों की रोकथाम करने एवं खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए मुखबिर तन्त्र को मजबूत करने में व्यय किया जाता है।

प्रदेश में पटवारी क्षेत्रों की संख्या तथा वर्ष 2010–11 तक पटवारी चौकियों के निर्माण की स्थिति

14–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पट्वारी क्षेत्र है तथा वर्तमान समय वर्ष 2010–11 तक कुल कितनी पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार बाकी निर्माणाधीन चौकियों का निर्माण भी करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

प्रदेश में कुल 1216 पटवारी क्षेत्र हैं। वर्तमान समय वर्ष 2010–11 तक स्वीकृत 1164 पटवारी चौकियों के सापेक्ष 867 पटवारी चौकियों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य गठन से अब तक अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा पदक से सम्मानित महानुभावों का विवरण

15–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन से अब तक अशोक चक्र/वीर चक्र/जीवन रक्षा से विभूषित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुरस्कार योजना के अन्तर्गत किन–किन महानुभावों को यह पुरस्कार दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

उत्तराखण्ड राज्य के गठन से अब तक निम्न विभूषित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुरस्कार योजना से पुरस्कृत किया गया:–

(क) अशोक चक्र

(i) स्व0 हवलदार गजेन्द्र सिंह–25 लाख रू0

(ii) स्व0 हवलदार बहादुर सिंह बोहरा–25 लाख रू0

(ख) वीर चक्र

(i) स्व0 नायक बृजमोहन सिंह–57,500/– रू0

(ii) कैप्टेन शशिभूषण घिल्डियाल–57,500/– रू0

(iii) कैप्टेन रूपेश प्रधान–57,500/– रू0

(ग) जीवन रक्षा पदक

(i) श्री सुनील चौहान–30,000/– रू0

(ii) श्री घनश्याम भट्ट–30,000/– रू0

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व पुलिस क सुदृढ़ीकरण हेतु मद तथा रेगुलर पुलिस का हस्तक्षेप

16–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत किस–किस मद में क्या–क्या सुदृढ़ीकरण करने की व्यवस्था की गयी है ?

जिन जनपदों में यह राजस्व पुलिस की व्यवस्था है वहाँ पर रेगुलर पुलिस का कितना हस्तक्षेप है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा केन्द्रांश क्या है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए आवागमन हेतु मोटर वाहन व दोपहिया वाहन, संचार सुविधा के लिए वी0एच0एफ0 सैट्स, पटवारी/कानूनगो चौकियों के रूप में स्थायी कार्यालय, कार्यालय साज सज्जा एवं पुलिस कार्य हेतु साहित्य आदि मदों में व्यवस्था की गयी है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था विद्यमान है तथापि कभी–कभी गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की जाँच/विवेचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा रेगुलर पुलिस को सौंपी जाती है। वर्तमान में राजस्व पुलिस के कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा रेगुलर पुलिस को निकटवर्ती थाना/चौकी में अपराध पंजीकरण, जाँच/विवेचना आदि के लिए निर्देशित किया गया है। वर्तमान में राजस्व पुलिस सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सेक्टर से किया जा रहा है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत देहरादून महानगर के कूड़े का प्रसंस्करण एवं योजना का क्रियान्वयन

17—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत देहरादून महानगर के कूड़े का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक भूमिकरण हेतु शीशम बाड़ा पछवादून में 8.323 हेक्टेअर भूमि चयनित है ?

यदि हाँ, तो उक्त भूमि पर शहर का कूड़ा डाले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

तथा योजना को कब तक पूर्ण कराकर क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

कम्पोस्टिंग प्लांट तथा वैज्ञानिक भू—भरण स्थल का निर्माण न होने के कारण।

01 वर्ष।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु जिलों में रोप वे की स्वीकृति तथा वि0स0 क्षेत्र अल्मोड़ा में प्रस्तावित रोप वे

18—श्री मनोज तिवारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किन—किन जिलों में रोप—वे की स्वीकृति प्रदान करने जा रही है ?

क्या विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अल्मोड़ा—कसार देवी, विकास भवन—बानडीदेवी—स्याही देवी में रोप—वे प्रस्तावित हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जनपदों में रज्जूमार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

जी हाँ, इस सम्बन्ध में साध्यता अध्ययन कराया जा रहा है।

रोप-वे निर्माण साध्य पाये जाने पर निर्माण व संचालन की कार्यवाही निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भूमि की उपलब्धता तथा निजी क्षेत्र के सहभागी के चयन व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मानीला व नैथना देवी मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन

19-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या-27/2008 जनपद अल्मोड़ा में मानीला, घोषणा सं0-129 के अन्तर्गत विकास खण्ड भिक्यासैंण, अल्मोड़ा में नैथना देवी मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने सम्बन्धी घोषणायें की गयी थी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक-

नैथना देवी मन्दिर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के माध्यम से प्रथम चरण हेतु रू0 3.00 लाख के आगणन तथा द्वितीय चरण हेतु रू0 25.28 लाख की योजना के आगणन गठित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण की कार्यवाही हेतु रू0 1.96 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय, देहरादून हेतु नये भवन का निर्माण

20-श्री ओत सिंह गुनसोला-

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि देहरादून स्थित जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय का नवीन भवन यथाशीघ्र बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री दिवाकर भट्ट-

जी हाँ,

जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय, देहरादून के भवन मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन का परीक्षण किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

मसूरी (देहरादून) को पर्यटन विकास हेतु ग्रिड/सर्किट से जोड़े जाने हेतु स्वीकृत योजना

21—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा पर्यटकों को मसूरी से लगे हुए नये पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मसूरी को पर्यटन ग्रिड/सर्किट से जोड़े जाने हेतु कोई योजना स्वीकृत की गयी है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस ग्रिड पर कार्य प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

मसूरी तथा उसके आस—पास के पर्यटक स्थलों को विकसित किये जाने हेतु केन्द्र पोषित धनोल्टी, चम्बा, नरेन्द्रनगर पर्यटन सर्किट योजना तथा अन्य योजनाओं में प्राविधानित धनराशि से पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, जल सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, वाटर स्टोरेज टैंक, मल्टीपरपज हाल/स्यूट्स का निर्माण, लैण्ड स्केपिंग, किओसक का निर्माण, पोनी स्टैण्ड का निर्माण, पेयजल स्टैण्डपोस्ट, हैण्ड पम्प, मार्गीय सुविधा, व्यू प्वाईंट, शू स्टैण्ड, ट्रैक रूट का निर्माण/सुधारीकरण पर्यटन पार्क का निर्माण व कलात्मक प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निकायों के सभासदों को मानदेय व विकास निधि की माँगों की पूर्ति

22—श्री तिलक राज बेहड़—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में नगर निकायों के निर्वाचित सभासदों द्वारा मानदेय एवं विकास निधि की माँग की जा रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त माँग कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

जी हाँ।

प्रकरण नीतिगत है, यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका मसूरी (देहरादून) बहुउद्देशीय टाउन हाल का निर्माण

23–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शहरी विकास मंत्री बतायेंगे कि सरकार नगर पालिका परिषद्, मसूरी के द्वारा बहुउद्देशीय टाउन हाल का निर्माण कब तक आरम्भ करेगी। तथा उक्त कार्य पर कितनी लागत आने की सम्भावना है एवं कितनी अवधि में यह कार्य पूर्ण होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत मसूरी (देहरादून) में सीवर लाइन बिछाने की योजना एवं कार्यावधि

24–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या शहरी विकास मंत्री बतायेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत मसूरी में सीवर लाईन बिछाने की योजना निर्माणाधीन है ?

क्या सरकार इस योजना का शिलान्यास करने पर भी विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कितने समय में उक्त योजना का कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

योजना निर्माणाधीन है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर में योजना को पूर्ण करने हेतु सितम्बर, 2011 का लक्ष्य निर्धारित है।

मसूरी (देहरादून) के पर्यटक स्थलों में मोनो रेल निर्माण की योजना

25–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत पुरुकुल गाँव वाया जार्ज एवरेस्ट, हाथीपाँव, मसूरी एरियल रोपवे का तकनीकी परिवर्तन करते हुए मोनो रेल का निर्माण पूर्व स्वीकृत योजना एरियल रोपवे के स्थान पर बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

एरियल रोपवे के स्थान पर मोनो रेल का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नियम—300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम—300 के अन्तर्गत कुल 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से पहली सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा, दूसरी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, तीसरी सूचना श्रीमती अमृता रावत और चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश जी की है। मैं इन चारों सूचनाओं को नियम—300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, कल जब प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल में माननीय मंत्री तैयारी करके नहीं आये और आपने प्रश्न स्थगित कर दिया था। (पेपर को दिखाते हुए) और प्रश्न स्थगित होने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मूल प्रश्न से हटकर विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मान्यवर, यह तो पीठ पर आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष—

अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मूल प्रश्न से हटकर विधायक प्रश्न पूछते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। विधान सभा की कार्यवाही को दिखवा लें। मैं तो यह अनुरोध कर रहा था कि मूल प्रश्न की भावना के अनुरूप प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा। अब उससे बाहर भी पूछेंगे तो उत्तर तो हम देंगे ही।

श्री प्रीतम सिंह–

मूल प्रश्न की भी तो तैयारी नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ तो गई है। अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अध्यक्ष जी यदि कोई निर्णय देंगे तो आप इस तरह से प्रेस में आउट करेंगे। प्रेस में कैसे कह दी गई ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं तो विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ। मैं कोई निर्णय थोड़े ही दे रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक एवं तहसील गंगोलीहाट में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह महरा "महू भाई"–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक एवं तहसील गंगोलीहाट में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गंगोलीहाट एक पर्यटक स्थल है और आस–पास के क्षेत्रों का व्यापारिक केन्द्र भी है। बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक एवं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी पेंशन के लिए यहाँ पर आते है। यहाँ पर रा0 इण्टर कालेज, रा0 बालिका इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, आई0आई0टी0 के कई विभागों जैसे पेयजल, बिजली, सिंचाई, ब्लॉक आदि के कार्यालय हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ तथा बेरीनाग की दूरी 60 तथा 30 किमी0 है। विश्राम गृह में केवल 2 कक्ष उपलब्ध हैं। जिस कारण यहाँ आने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस विश्राम गृह का विस्तार कर कम से कम 10 कक्षों का विश्राम गृह का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में माध्यमिक एवं इण्टर स्तर पर पर्यावरण को मुख्य विषय तथा इस विषय के शिक्षण हेतु एल0टी0 ग्रेड में वनस्पति विज्ञान, वन विज्ञान तथा रसायन विज्ञान को संयोजन विषय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आज पर्यावरण को विषय के रूप में पूरे विश्व में लागू किया जा है। उत्तराखण्ड के सभी विद्यालयों में इस विषय का होना पर्यटन एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ऐसे में माध्यमिक एवं इण्टर स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में लागू करना तथा एल0टी0 ग्रेड में उक्त विषय के शिक्षण हेतु वन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान के संयोजन को मान्यता दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है। यह भी संज्ञान में लाना है कि विज्ञान/वानिकी की महत्ता के कारण इसे उच्च शिक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है।

इस कारण वानिकी से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर चुके हजारों अभ्यर्थी उक्त विषय संयोजन नहीं होने के कारण बेरोजगार हैं।

अतः सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मुझे आपकी आज्ञा से सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्न विद्यालय भवनों की स्थिति अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण बनी हुई है, जिसके कारण वहाँ शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना–घटित होने की आशंका बनी हुई है। यद्यपि मैं बराबर ही विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ध्यान इन विद्यालय भवनों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त करती आ रही हूँ किन्तु अनेक स्मरण पत्रों के बावजूद भी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही और उसके परिणामों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेरा मान्यवर से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत निम्न जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने/करवाने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाय ताकि विद्यालय परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके।

क्र0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड
1–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाई	पोखड़ा
2–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दियोलीखाल	पोखड़ा
3–	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिवई	बीरोंखाल
4–	राजकीय इण्टर कालेज, बेदीखाल	बीरोंखाल

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ीय प्राथमिक विद्यालय, खितोटिया	बीरोंखाल
य कन्या इण्टर कालेज, बीरोंखाल	बीरोंखाल

के मण्डी समिति, रूड़की द्वारा किसानों को कृषक हायता योजना का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद की मण्डी समिति, रूड़की के द्वारा 'किसानों को कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना' के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों के किसानों के फार्मों को भरकर कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, निदेशक कार्यालय में भेजे गये हैं।

सम्पूर्ण औपचारिकता फार्मों की पूर्ण की गई है। विभिन्न ग्रामों में से मात्र भगवानपुर गाँव के किसानों को योजना का लाभ दिया गया है। अन्य ग्रामों के किसानों के फार्मों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं क्योंकि अनुदान नहीं दिया जा रहा है। तत्काल अनुदान देने के लिए इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की माँग करते हैं।]

(कई माननीय सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 के अन्तर्गत दो सूचना प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली सूचना माननीय श्री करन मेहरा, माननीय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय श्री गोपाल सिंह राणा, माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय श्री प्रीतम सिंह, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा दी गयी जो शिक्षा मित्र, बी0पी0एड0/बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में है, यह सूचना विशेष नहीं है कि सभी नियमों का निलंबन किया जाय। इस विषय पर तारांकित अथवा अल्पसूचित प्रश्न दिया जा सकता है। इस विषय पर नियम–54 के अन्तर्गत चर्चा की माँग की जा सकती है, ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूँ। दूसरी सूचना माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय श्री यशपाल बेनाम, माननीय हाजी तस्लीम अहमद, माननीय श्री हरिदास, माननीय श्री शहजाद जी के द्वारा दी गयी है, जिसका विषय निश्चित नहीं है। यह कई विभागों के परफोर्मेंस के विषय के सम्बंध में है, जिस पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान का विषय है। इस विषय पर बजट के दौरान चर्चा की जा सकती है। अतः मैं नियम–310 की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये और नारे लगाते हुए अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। नियम-58 में कल दे देना, अगली बार दे दें। यह विषय निश्चित नहीं है, कई विभागों से सम्बंधित है, कैसे ले लिया जाय और फिर चर्चा का विषय है।

(कई माननीय सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य।)

(माननीय सदस्य श्री करन मेहरा ने नियम-310 की सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दी।)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, यह चार-चार विभागों का विषय है, एक विभाग का उत्तर कैसे दे देंगे? (व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा जी जो सूचना दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री करन मेहरा 'वेल' में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मेहरा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री करन मेहरा 'वेल' में बैठ गये।)

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, अलग-अलग सूचना दी जाती है, आखिर कौन मंत्री जवाब देंगे ?

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद जी, इस सूचना में एक से अधिक विभाग हैं। आप अलग से सूचना दें दे, उस पर विचार किया जा सकता है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में बैठ गये।)

घोर व्यवधान के मध्य

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में बैठकर अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री यशपाल बेनाम जी, अभी महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, आप अपनी बात वहाँ पर बड़े विस्तृत रूप से कह सकते हैं। बजट पर चर्चा होनी है, लोक निर्माण विभाग पर चर्चा होनी है, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको अवसर मिलेंगे अपनी बात कहने के।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सभी माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने को कहें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जब एक सूचना के माध्यम से आप विभिन्न विभागों का उल्लेख करेंगे तो कैसे विचार किया जा सकता है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम सभी माननीय विधायकों को, केवल कॉंग्रेस और बसपा के ही नहीं बल्कि सभी माननीय विधायकों को पी0डब्लू0डी0 से सूचना दी गयी कि आप अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से 20-20 किलोमीटर के प्रस्ताव (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं माननीय यशपाल बेनाम पूर्ववत् 'वेल' में अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि सभी माननीय विधायकों के क्षेत्रों में 20-20 किलोमीटर सड़क सरकार ने देने का निर्णय लिया है। मान्यवर, कई पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों ने कुछ माननीय विधायकों से सम्पर्क किया और 20-20 किलोमीटर के प्रस्ताव भी मांगे और कुछ माननीय विधायकों ने अखबारों का संज्ञान लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के 20 किलोमीटर के प्रस्ताव अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारियों, जो पी0डब्लू0डी0 के नोडल अधिकारी थे, को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये। माननीय सदस्य जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार ने समाचार–पत्रों में यह समाचार दिया तो मैं समझता हूँ कि अगर आज सरकार यह कार्य कर दे तो अच्छा होगा। अगर सरकार आज यह निर्णय कर दे तो।

श्री अध्यक्ष–

अखबार में तो यह कभी नहीं आयी और न ही यह सदन अखबार की बात का संज्ञान लेता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा गहन विषय है।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन अखबार की बात का संज्ञान नहीं लेता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपकी सदाशयता है, अन्यथा यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है। यह विषय तो बजट भाषण पर बोल सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपको अपनी बात कहने के अनेक अवसर मिलेंगे, उस समय अपनी बात रख लेना। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम अखबार का संज्ञान ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं, अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता है। आप हाउस में यह कह दें कि सड़क हम नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब लोक निर्माण विभाग का बजट आयेगा, तब बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब पैसा बढ़ जायेगा, तब क्या संज्ञान लेंगे। मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बजट तो सम्मानित विधान सभा की अनुमति से ही पास होगा। जब विभागीय बजट आयेगा, उस समय विचार रख सकते हैं। मान्यवर, उस समय की बात की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

कृपया आप जाँच करा दें, किस–किस को सड़क दी गयी है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो संरक्षक हैं। आपको चाहिए कि सभी माननीय विधायकों को संरक्षण दें। इस मामले में हमें आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

'किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2010 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2010 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 एवं 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2001–2002, 2002–2003,

2003–2004, 2004–2005 एवं 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए (2) के अन्तर्गत पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2004–2005, 2005–2006 एवं 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा–619–ए (2) के अन्तर्गत पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2004–2005, 2005–2006 एवं 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति, आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सभापति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति, आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सभापति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सभापति, आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सभापति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की याचिका समिति (2010–11) का द्वितीय प्रतिवेदन

सभापति (सुश्री कैरन मेयर)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की याचिका समिति (2010–11) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा

(सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 15 मार्च, 2011 की बैठक में दिनांक 16 मार्च से दिनांक 22 मार्च, 2011 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2011

16 बुधवार महामहिम राज्यपाल पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।

<u>विधायी कार्य:</u>

1. भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

3. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

4. उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

मार्च, 2011

17 गुरूवार

से

21 सोमवार तक होली अवकाश (बैठक नहीं होगी।)

मार्च, 2011

22 मंगलवार 1. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियम) विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (01 घंटा)

1. वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011–12 के आय–व्यय का प्रस्तुतीकरण।

(अपराह्न 04:00 बजे)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक–58 के अन्तर्गत श्रीमती अमृता रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र राकेश, डा0 हरक सिंह रावत, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री शहजाद, श्री केदार सिंह रावत एवं श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती अमृता रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री शहजाद तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई। इसके अतिरिक्त जो सूचना माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री दिनेश अग्रवाल जी ने नियम–310 के अन्तर्गत दी है, उसे भी ग्राह्यता पर नियम–58 के अन्तर्गत सुन लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, गुरिल्ला से सम्बन्धित एक सूचना है। 17 हजार गुरिल्ले हैं माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान) सन् 1962 के युद्ध में सीमाओं पर रहे। उस समय उन

17 हजार लोगों को पूरा प्रशिक्षण दिया गया था। उनको सीमाओं की चौकसी के लिए रखा गया था। ये महत्वपूर्ण सूचना है मान्यवर।

*श्री किशोर उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल निवेदन किया था। हमारे बहुत से लोग जापान में फंसे हुए हैं, उनके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आना चाहिए था। कार्यसूची में कहीं इसका उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

बाद में करेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत जी का नाम पुकारे जाने पर।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हाउस को व्यवस्थित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय शहजाद जी, नियम--58 में आपकी भी एक सूचना है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 01.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1.30 बजे तक बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 3.00 बजे तक बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी--अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

इस विषय को नियम--58 में सुन लूँगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' से अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देहरादून की डिफेंस कालोनी और फ्रेंड्स एन्क्लेव के बीच स्थित बरसाती तालाब की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह एक बरसाती तालाब है, जोकि वर्षा ऋतु में देहरादून शहर के अन्दर सबसे बड़ी जलराशि के तालाब का आकार ले लेता है। इस तालाब पर विश्व विख्यात चिपको अन्दोलन की जन्मदात्री गौरा देवी के नाम पर माननीय कृषि एवं उद्यान मंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दिनांक 18 मार्च, 2008 को एक वाटर पार्क का शिलान्यास किया था। उसके बाद अब प्रदेश में इस सरकार का कार्यकाल अन्तिम वर्ष में है। इस दौरान पार्क तो बना नहीं मगर उस पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण अवश्य कर दिया। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है, वह यह है कि पार्क के निचले हिस्से में डिफेंस कालोनी की तरफ से एक बड़े नेता ने नगर पालिका में अपने ओहदे का दुरूपयोग कर। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, प्रक्रिया यह है कि नोटिस दी जाती है, उसकी ग्राह्यता पर विचार प्रकट किया जाता है, पूरा नोटिस पढ़ने की परम्परा नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, नोटिस क्या, इस बात को माननीय अध्यक्ष जी ने माना है।

श्री अध्यक्ष–

आपके नोटिस में जो सूचना है, वह हमारे पास यहाँ पर आ गयी है। ग्राह्यता पर आप इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहती हैं तो बताइये।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ, आप भी वहाँ गये होंगे और आपने भी देखा होगा। बरसात में सारा पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है और जलाशय का आकार ले लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नेताओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, उसके दो हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें और बस्तियों के बरसात के नाले का पानी आता है और अगर उस पानी को रोक दिया जायेगा तो वह पानी कालोनियों में घुस जायेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह आग्रह है कि जो अतिक्रमण हुआ है, उसकी आप जाँच करा लें कि किस नेता के द्वारा अतिक्रमण कराया गया ? चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहती हूँ, कि सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए इस अति महत्पूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय, धन्यवाद।

पर्यटन, गन्ना, शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय सदस्या जी ने जो कार्य–स्थगन के रूप में ग्राह्यता पर बोलते हुए अपना विषय रखा उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो यह जगह है डिफेंस कालोनी में, वह 8090 वर्गमीटर की भूमि तालाब के रूप में है। इस भूमि पर गौरा देवी जलक्रीड़ा एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में इसको विकसित किये जाने की योजना है। इस योजना को नगर निगम, देहरादून एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु एक सोसाइटी, देहरादून डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया है, जो विधिवत् रूप से पंजीकृत है। इस पंजीकृत सोसाइटी के अधीन एक जनरल बाडी है, जिसमें मेयर, नगर निगम उसके अध्यक्ष होंगे और इसमें 11 सदस्य होंगे। इसकी बैठक दिनाँक 28.04.2010 को हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निर्माण एजेन्सी के रूप में काम करेगी। इस पर जो आगणन तैयार किया गया है, वह 2,19,77,370.00 रूपये का है। आगणन की जाँच पी0डब्ल्यू0डी0 से करा ली गयी है। यह स्थल जो तालाब के रूप में स्थित है, इसलिए इस पार्क को विकसित किये जाने से पूर्व बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। जिससे जल भराव न हो और क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था हेतु प्राधिकरण द्वारा विस्तृत रूप से सर्वे करने के लिए कहा गया है ताकि क्षेत्र में वाटर पार्क बनने के पश्चात जो जल भराव की समस्या है वह न हो सके।

जहाँ तक कब्जे का सवाल है, प्राधिकरण द्वारा नगर निगम की यह जो 8 हजार 90 वर्ग मीटर की जो भूमि है, चाहरदीवारी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, हो सकता है अभी दो–चार दिन पहले किया गया हो लेकिन शुरू कर दिया गया है। लेकिन जैसा मुझे अवगत कराया गया है कि उस पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए जिलाधिकारी, देहरादून और नगर निगम से जानकारी प्राप्त की जायेगी और अगर कब्जा है तो तत्काल हटाया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीया सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को मैं अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड के एस0एस0बी0 स्वयंसेवक, जिनको गुरिल्ला भी कहा जाता है, पिछले साढ़े तीन–चार साल से लगातार प्रदेश में आन्दोलनरत् हैं और जिनकी कुल संख्या 17 हजार के आस–पास है। मान्यवर, ये वे लोग हैं, जब वर्ष 1962 एस0एस0बी0 का गठन हुआ था और सीमाओं में लगे गाँव के आस–पास

उस क्षेत्र के लोगों को छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। 45 दिनों की रायफल की ट्रेनिंग फिर अन्य ट्रेनिंग के साथ–साथ इनको पूरे इलाके में छोड़ा जाता था, जो हर तरीके की सूचनाएँ सरकार तक पहुँचाते थे। क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा साधन न होने पर भी यह प्रयास करते थे, छापामारी के साथ अन्य तरीकों के साथ दुश्मन से सीमाओं की सुरक्षा करते थे और उस दौरान इनको मानदेय तथा भोजन, भत्ता इत्यादि दिया जाता था और फिर विधिवत् उसके बाद एस0एस0बी0 का गठन हुआ।

अब मान्यवर, चूँकि ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की उम्र 50 वर्ष, 60 वर्ष के आस–पास है लेकिन अधिकांशतः लोगों की उम्र 45 वर्ष के आस–पास है लेकिन इनकी कुछ माँग रही है और उस पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने सहमति भी जताई है। जब इनका शिष्ट मण्डल दिनाँक 24 सितम्बर, 2009 को केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार से मिला था। उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार कुछ ऐसी योजना बनाए, जिससे इन लोगों को समायोजित किया जाए, जिसमें इन सब लोगों को रखा जाए और अगर इसके लिए जो भी संसाधन की जरूरत होगी, उसका फाईनेन्स भारत सरकार करेगी। उसी तरीके से दिनाँक 4 अगस्त, 2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से घोषणा की थी कि उपनल के माध्यम से आप सभी लोगों को समायोजित किया जायेगा और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और गृह सचिव को यह निर्देशित किया कि आप एक योजना बनाकर इसका प्रस्ताव लाईये ताकि इसको केन्द्र सरकार को भेजा जा सके और हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको हम लोग करें। लेकिन वार्ता के अलावा जब–जब गुरिल्लों ने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया, तो उस पर कोई कार्य योजना और कोई ठोस पहल आज तक नहीं हो पाई। जब सचिवालय में यह शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो इन पर लाठी चार्ज भी किया गया और 35 गुरिल्लों पर मुकदमें भी दर्ज किये गये हैं। मान्यवर, इनकी 2–3 मांगे मुख्य रूप से हैं। एक तो जैसा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में भी लिखा गया था कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा हेतु विशेष बल का गठन किया जायेगा। इसको बहुउद्देशीय बल के रूप में गठित किया जा सकता है, जिसमें गुरिल्लों को समायोजित किया जा सकता है।

ईको टास्क फोर्स का गठन करने का प्रकरण विचाराधीन है, गंगा की सफाई की बात है तो बहुत सारे कार्यों में अनुभवी गुरिल्लों की मदद ली जा सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि अब तक जो उनको आश्वासन दिये गये हैं, उसमें कितनी ठोस पहल आपके द्वारा की गई है ? दूसरा जो उन पर लाठी चार्ज के बाद मुकदमें दर्ज किये गये हैं, सरकार उसको वापस कब तक ले लेगी और तीसरा चूंकि एक करोड़ की आबादी में 17 हजार की संख्या इनकी है और पूरे तरीके से प्रशिक्षित हैं और हमारा प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है।

भारत–नेपाल सीमा, चीन–तिब्बत सीमा और इसमें जिस तरीके से आज पूरे गाँव खाली हो चुके हैं पलायन के कारण, उसे कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। चीन ल्हासा तक अपना पूरा एयरबेस बना चुका है, रेल लाईन बिछ रहा है तो उसके लिए अगर इन गुरिल्लों के लिए पोस्ट का गठन करके, इन सारी चीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उसका निर्वहन ये बखूबी कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी डिमाण्ड भी नहीं है, सिर्फ एक सम्मान की बात है। मान्यवर, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से, इस कार्य स्थगन सूचना के माध्यम से विषय को रखा है, उसके सम्बंध में ग्राह्यता पर बोलते हुए माननीय सदस्य ने बोला कि सशस्त्र सीमा बल के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों की नौकरी, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के सम्बंध में विगत वर्षों से निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माँग की जा रही है और वर्ष 2007 में जब हमारी लोकप्रिय सरकार आई तो हमने इस विषय को बहुत संजीदगी के साथ लिया।

मैं सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 8 अगस्त, 2008 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गृह मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा गया और उस पत्र में 3 विशेषतौर पर इनकी जो माँगें थीं, उन माँगों का उल्लेख किया गया और यह कहा गया कि इन माँगों में अविलम्ब भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही की जाय। इन 3 माँगों विशेषतौर पर जो माँग इन स्वयं सेवकों की थी, जिसमें जो ट्रेंड गुरिल्ला वालिंटियर हैं, जो 18 से 40 की उम्र के हैं, उन्हें एस0एस0बी0 में नियमित रोजगार दिया जाए, यह उनकी माँग थी और दूसरी माँग यह थी कि जो 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें 3 हजार रूपये प्रति माह पेंशन दी जाए और तीसरी माँग उनकी थी कि जो स्वयंसेवक दिवंगत हो गये हैं, उनके परिजनों को पेंशन सुविधा और उनके पालिनियों को एसेम्बली में एस0एस0बी0 रिक्रूटमेंट में सुविधा दी जा सके। मान्यवर, भारत सरकार के माध्यम से कोई संतोषजनक उत्तर अद्यतन प्राप्त नहीं हुआ और इसे देखते हुए, इसके लिए समय–समय पर अनुस्मारक पत्र भेजे गये, जिसमें से लगभग 10 पत्र हमारे पास हैं, जो भारत सरकार को भेजे गये है। जिसमें हमारे सचिव के माध्यम से इन माँगों के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही का आग्रह किया गया था। इसी दौरान श्रीमन्, दिनांक 22 फरवरी, 2010 को गृह मंत्रालय से हमें पत्र प्राप्त हुआ है और इस पत्र में जो उल्लेख किया गया है, उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि उपरोक्त मामले में आपको यह सूचित किया जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जितने वलिन्टियर्स हैं, जो स्थाई और योग्य स्वयंसेवक थे, केवल उन्हें ही गुवाहटी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जो हर प्रकार से भर्ती–नियमों के अनुरूप पाये गये थे, उन्हें एस0एस0बी0 में दिनांक 1–1–2004 से नौकरी में लिया गया है।

लेकिन उत्तराखण्ड के स्वयंसेवकों का मामला मणिपुर के स्वयंसेवकोंसे भिन्न है, क्योंकि उत्तराखण्ड के स्वयंसेवकों को अस्थाई रूप में रखा गया था और उन्हें एस0एस0बी

की गतिविधियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ते के रूप में 38/- प्रतिदिन के हिसाब से व आहार भत्ता दिया जाता था। अतः वे स्थाई स्वयंसेवक नहीं थे और न ही वे सशस्त्र सीमा बल में नियमित होने की शर्तों को पूर्ण करते हैं। अतः जहाँ तक उत्तराखण्ड का प्रश्न है, इस जगह में कोई भी वालिन्टियर्स की भाँति स्थाई स्वयंसेवक नहीं हैं, जिन्हें एस0एस0बी0 में निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती किया जा सके। फिर भी गृह मंत्रालय ने एस0एस0बी0 प्रशिक्षित स्वयंसेवक के लिए एक बारगी के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देने का अनुमोदन किया है। यह छूट अन्य विहित अर्हत शर्तों की पूर्ति के लिए विशेष स्थिति के अधीन एस0एस0बी0 में कांस्टेबल/फॉलोवर की भर्ती के एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के उम्मीदवारों को दी गई छूट के अतिरिक्त है, जोकि भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी। मान्यवर, इस प्रकार वन टाईम एज रिलेक्सेशन इन्होंने भर्ती के लिए दिया है। इसके लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से हम इनकी मदद कर सकते थे, इसके लिए हमारी सरकार ने एक आदेश निकाला और उस आदेश में कहा गया कि जिस तरह से भूतपूर्व सैनिक हैं, क्योंकि यह भारत सरकार गृह मंत्रालय का मैटर था और इससे अधिक हम मदद करने की स्थिति में नहीं थे। मान्यवर, हमने जिस से भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवायोजन का प्राविधान किया है, उसी प्राविधान के तहत इनको उपनल के माध्यम से विभिन्न राज्याधीन सेवाओं में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के लिए एक आदेश शासन की ओर से उपनल को दिया गया। क्योंकि उपनल उत्तराखण्ड राज्य का ही उपक्रम है और इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं गुरिल्ला संगठनों की मांग पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के एस0एस0बी0 स्वयं सेवक गुरिल्लाओं को भूतपूर्व सैनिकों की भांति उपनल के माध्यम से सेवायोजित करने की सहमति हुई है, तद्नुसार कार्यवाही करें। मान्यवर, यह निर्देश राज्य की सरकार ने उपनल के प्रबन्ध निदेशक को दिया है। इस तरह से सरकार पूरी तरह से इस विषय पर गम्भीर है।

दूसरा विषय जो अभी माननीय सदस्य ने उठाया कि कतिपय जो घटना दिनाँक 10 नवम्बर, 2010 को हुई है और उन्होंने कहा कि इसमें कोई लाठीचार्ज हुआ है, उनका दमन किया गया है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने रिपोर्ट मँगायी है कि दिनाँक 10 नवम्बर, 2010 को एस0एस0बी0 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा गांधी पार्क से सचिवालय गेट तक एक जुलूस निकाला गया था। मान्यवर, शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों को बैरिकेटिंग पर रोके जाने पर जुलूस में सम्मिलित गुरिल्ले उत्तेजित होकर जबरन आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे तथा उनके द्वारा धक्का-मुक्की व पथराव किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सचिवालय में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सचिवालय में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को तितर-बितर करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लाठियाँ जमीन पर फटकारी गयी, जिससे भगदड़ मच गयी। श्रीमन्, इसमें 35 गुरिल्लों को गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायालय के माध्यम से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। गुरिल्लों पर किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मैं अवगत करना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार गुरिल्लों की समस्या के सम्बन्ध में अत्यन्त संवेदनशील है। प्रदेश में एस0एस0बी0 प्रशिक्षित

गुरिल्लों द्वारा प्रशिक्षित गुरिल्लों की संख्या, योग्यता, अनुभव, आयु आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, उसके पश्चात् उपनल के माध्यम से इनको विधिवत् नियुक्त करने के जो आदेश हमने दिए हैं, उसके माध्यम से हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देंगे। क्योंकि जब तक उनकी आइडेंटिटी नहीं होगी कि कौन स्वयं सेवक है, कितने समय उन्होंने सेवा की है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु क्या है, जब ये प्रमाण हमें उपलब्ध करायेंगे, तो उपनल को आदेश दिए जा चुके हैं कि उपनल भूतपूर्व सैनिकों की भाँति राजकीय सेवाओं में सेवायोजित करना प्रारम्भ करे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ। इन गुरिल्लों के ऊपर जो मुकदमें दर्ज हुए हैं, उनके बारे में स्पष्ट कर दें कि क्या उन मुकदमों को वापस लेंगे?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो विधिक प्रक्रिया है। इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद चम्पावत में विकास खण्ड बाराकोट में बड़े लम्बे समय से तहसील की माँग चली हुई है। विकास खण्ड के हैड क्वार्टर से तहसील की दूरी लगभग 50–60 किलोमीटर है, जहाँ लोगों को लोहाघाट जाना पड़ता है। वर्ष 2005 में उप तहसील का निर्माण किया गया था। तब से तहसील की माँग को लेकर लोग आन्दोलित हैं। मान्यवर, बाराकोट विकास खण्ड में 47 ग्राम पंचायतें हैं, 130 राजस्व ग्राम हैं, 4 न्याय पंचायतें हैं, 20 क्षेत्र पंचायतें हैं और वहाँ की जनसंख्या 24553 है तथा 10 पटवारी क्षेत्र हैं। मान्यवर, इस समय 2 माह से वहाँ पर भूख हड़ताल, आन्दोलन और धरना प्रदर्शन जारी है। लोगों की परेशानी को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि तुरन्त इस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय ताकि जो क्षेत्र के लोगों की परेशानी है, वह दूर हो सके।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, चम्पावत जनपद एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जिला है और इस जिले में बाराकोट अपने आप में बहुत पिछड़ा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ही अधिक है। यहाँ के लोग लम्बे समय से तहसील

की माँग कर रहे हैं। वैसे भी हमारा राज्य छोटा राज्य बन गया है तो हमारी प्रशासनिक इकाईयाँ भी अपने आप में छोटी होनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। बाराकोट विकास खण्ड में लोग काफी लम्बे समय से तहसील की माँग को लेकर हड़ताल, धरना, प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लोगों के हित के लिए, लोगों की कठिनाईयों के समाधान के लिए बाराकोट में तहसील का बनना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वहाँ पर तहसील बने, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

भू–प्रबन्धन एवं राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जिला चम्पावत के अन्तर्गत उप तहसील बाराकोट को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने की माँग पर चर्चा का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य में प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन पर इस माननीय सदन में नियम–105 के अन्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 2008 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को विस्तृत चर्चा की गई थी। चर्चा में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, चर्चा के उपरान्त यह निर्णय हुआ था कि नई प्रशानिक इकाईयों का गठन वर्तमान मानकों की दृष्टि से तथा वित्तीय दृष्टि से वर्तमान में उचित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह चर्चा किससे की गई थी ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इसी सदन में यह चर्चा हुई थी और आपसे ही की गई थी।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह चर्चा किस नियम में हुई थी और किसने इसमें भाग लिया था ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, नियम–105 के अन्तर्गत चर्चा हुई थी और इसी सदन में हुई थी। मान्यवर, इसमें यह भी निर्णय हुआ था कि वर्तमान में अधिकाँश क्षेत्रों से जनता द्वारा अपने गाँवों या क्षेत्रों को अपने तहसील या जिला मुख्यालयों की दूरी के कारण अन्य निकट के तहसीलों/जिलों में सम्मिलित करने की माँगें प्राप्त हो रही हैं, उनके लिए एक समिति गठित की जायेगी, जो ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी। इस निर्णय के अनुरूप मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में भारत की जनगणना से सम्बन्धित भारत सरकार की अधिसूचना के कारण दिनांक 31 मार्च, 2011 तक प्रशासनिक इकाईयों की सीमा परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। बाराकोट में उप तहसील में आवश्यक पदों का सृजन कर उप तहसील संचालित की जा रही है, उप तहसील से तहसील लोहाघाट की दूरी 13 किलोमीटर है।.....

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह रोक किसके द्वारा लगाई गई है और कब तक लगाई गई है ? अगर रोक लगाई गई है तो क्या उसकी परिधि में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं या नहीं ? क्योंकि वह जगह–जगह जाकर तहसीलों की घोषणायें कर रहे हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह रोक दिनांक 31 मार्च, 2011 तक लगाई गई है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, अभी आपने बताया कि इसकी दूरी 13 कि0मी0 है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ और मैंने उसकी दूरी 51 किलोमीटर बताई है। आप इसको भी देख लें कि मैं सही हूँ या आपकी सूचना। बाराकोट के लोगों को तहसील हैडक्वार्टर लोहाघाट तक आने में 51 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, क्या वह रास्ता घुमाकर है ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, सरकार ने जब घूमी हुई सड़कें बनाई हैं तो लोगों को भी घूम के ही आना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, वहाँ पर एस0डी0एम0 और तहसीलदार हफ्ते में दो दिन बैठ रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, आपको गलत सूचना आई है, वहाँ पर एस0डी0एम0 और तहसीलदार कभी नहीं बैठते हैं और गनीमत है कि कभी नायब तहसीलदार बैठ गये तो बैठ गये, नहीं तो वह भी नहीं बैठते हैं। अब वह क्यों नहीं बैठ पाते हैं, उसे मैं नहीं बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे ध्यानाकर्षित कर दीजिये।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी जाँच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा, माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल

एवं माननीय राजस्व मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री शहजाद का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत सुनने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड का हरिद्वार जनपद, जो राजस्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा जिला है। आज उत्तराखण्ड की सरकार हरिद्वार में योजनाओं को लागू करने में सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ घोषणा की जाती है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा 20 किलोमीटर सड़कें प्रत्येक हरिद्वार जनपद के विधायकों को, जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना मिलती है कि दी जाएंगी और उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा स्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिये जाते हैं, लेकिन वर्ष समाप्त होने पर है, आज तक कोई भी शासनादेश सड़कों की स्वीकृति हेतु जारी नहीं किया गया है। एक मुख्य बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है पूरे उत्तराखण्ड में। फर्स्ट फेज जब शुरू किया गया था तो फर्स्ट फेज में प्रदेश की कुल 572 किलोमीटर सड़क का चयन किया गया था, उसमें हरिद्वार की एक किलोमीटर सड़क भी नहीं ली गयी थी। बड़े दुःख का विषय है कि हरिद्वार एक ऐसा जनपद, जहाँ पर सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में टूटी–फूटी पड़ी हैं, आने–जाने का, आवागमन का रास्ता नहीं है पर प्रथम फेज में एक भी किलोमीटर सड़क नहीं ली गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी के सामने रखी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे जितनी भी सड़कों का निर्माण होगा, चाहे फेज सेकेन्ड हो, चाहे फेज थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, सभी में हरिद्वार का विशेष ध्यान रखा जयेगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब सेकेन्ड फेज में सड़कों का चयन होता है, 925 किलोमीटर सड़कें पूरे उत्तराखण्ड में चयनित की जाती हैं, लेकिन दूसरे फेज में हरिद्वार में ऊँट के मुँह में जीरा 33 किलोमीटर सड़क मात्र दी जाती है।

जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कुर्सी से हट जाते हैं तो तीसरा फेज शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा घोर आपत्ति का भी विषय है कि हरिद्वार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा ? क्या हरिद्वार की जनता उत्तराखण्ड की निवासी नहीं है, क्या हरिद्वार की जनता का हिस्सा उत्तराखण्ड के बजट में नहीं बैठता है ? जब हरिद्वार प्रत्येक तरीके से राजस्व भी सबसे ज्यादा देता है और इस प्रदेश में जनसंख्या भी हरिद्वार की सबसे ज्यादा है तो हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम किसी से भी भीख माँगना नहीं चाहते, हम किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमें जरूर मिलना चाहिए। इसकी

अपेक्षा हम सरकार से करते हैं। तीसरा फेज शुरू होता है, जिसकी डी0पी0आर0 बन चुकी है और बड़ा खेद का विषय है कि 1703 किलोमीटर सड़कों में से मात्र 04 किलोमीटर सड़क हरिद्वार की चयन की जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है, क्यों हरिद्वार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है, क्यों हरिद्वार की जनता को दोयम दर्जे की जनता समझती है, क्यों हरिद्वार के विधायकों को दोयम दर्जे के विधायक समझती है ? मान्यवर, ऐसा क्या कारण है, सरकार की ऐसी क्या मंशा है, क्यों नहीं वह हमारा हक हमें देना चाहती है, यह सरकार क्यों एकतरफा आँख मीच कर काम करना चाहती है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारा हक है, जब यह योजना पूरे प्रदेश में प्रस्तावित की गई थी तो प्रदेश के 10800 कि0मी0 मार्गों को बनाने के लिए यह योजना प्रस्तावित की गई थी।

मान्यवर सरकार द्वारा 550 मीलियन डालर ऋण लेकर इन सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है और इस पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है, जो ऋण हम पर भी है और हमारी जनता के प्रत्येक व्यक्ति पर भी यह ऋण बैठता है। ऋण के बदले में जो ऋण हमसे वसूला जायेगा, क्यों नहीं हमको सड़कें दी जा रही हैं, इसके क्या कारण हैं, हमारे साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है ? इस लिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत जो यहाँ सड़कें बनने जा रही हैं उनकी डी0पी0आर0 बनी है और अभी पैसा सेंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद की सड़कों का भी चयन किया जाये, हरिद्वार जनपद की सड़कों का डी0पी0आर0 बनाकर जो हमारा हक बनता है, जितना परसेन्ट हमारा बनता है, प्रत्येक फेज में, वह हरिद्वार की जनता को मिलना चाहिए। यह निवेदन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें, जो जिसका हक है वह उसे मिलना चाहिए। यह भी कहना चाहता हूँ, जब पक्षपात किया जाता है तो उससे ईश्वर और अल्ला ताला को भी बहुत बुरा लगता है। मान्यवर, मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि 09 महीने गर्भ में भी बच्चा रहता है, आपका भी समय 09 महीने का रह गया है, उल्टी गिनती तो शुरू हो गयी है सुधर जाओ, अपने विचारों में शुद्धि कर लो, भेदभाव मत करो, भेदभाव जो कर रहे हो उसे समाप्त कर दो। इस 09 महीने में निश्चित रूप से सुधार करते हुए जो जिसका हक है उसे दे दो, नहीं तो जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है, हरिद्वार की उपेक्षा हो रही है। मान्यवर, हरिद्वार इस उत्तराखण्ड का सबसे मुख्य अंग है, अगर यहाँ की उपेक्षा होगी तो इसका गलत मैसेज पूरे हिन्दुस्तान में जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारी कार्यवाही को रोकते हुए इस पर चर्चा की माँग करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार न हो।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मान्यवर, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधान सभा और सचिवालय जाते रहते हैं। जब मुझे पता चला कि विभिन्न माननीय विधायकों को 20 कि0मी0 सड़क दे दी गई है तो मैंने भी तीन माह पूर्व अपने क्षेत्र की 20 कि0मी0 सड़कों का आगणन पूरे प्रापर चैनल से सरकार को प्रेषित किया, अन्ततः मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद जब कोई हल नहीं निकला तब निश्चित रूप से हमें इसका सहारा लेना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र के विधायक ही नहीं हैं बल्कि उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य हैं। अगर उत्तराखण्ड विधान सभा के कुछ सदस्यों को 20 कि0मी0 सड़क दे दी जाती है और कुछ माननीय सदस्यों को छोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह भेदभाव है, तो मैं चाहता हूँ इस भेदभाव को समाप्त करते हुए एक निर्दलीय विधायक की तरफ भी देखें, क्योंकि हम आमने–सामने बैठे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपकी और हमारी नजर मिलती है तो अपनी नजर मुझ पर इनायत करने का कष्ट करिये और 20 कि0मी0 सड़क आप हमें देने का कष्ट करेंगे। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, किस सूचना पर मुझे बोलना है, क्योंकि मेरी एक सूचना नियम–58 की भी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो पी0डब्ल्यू0डी0 से सम्बन्धित सूचना है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, बहुत संघर्ष के बाद इस विषय पर बोलने का मौका मिला, क्योंकि हरिद्वार जिले की बात यहाँ सबसे ज्यादा हम हरिद्वार के लोग उठाते हैं। पिछली बार भी हरिद्वार उपेक्षा का शिकार था। इस बार उससे भी कहीं ज्यादा। मान्यवर, चार साल के कार्यकाल में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग भी विधायक बने हैं। जनता की समस्याओं के प्रति हम सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन यह गूँगी बहरी सरकार है। जिला योजना की बात हम कई बार यहाँ उठा चुके हैं। जिला योजना का पैसा कई साल का पैंडिंग पड़ा हुआ है। जिला योजना के माध्यम से भी सड़क बनने का काम नहीं हो रहा है। राज्य योजना में और भी बुरा हाल है कि विपक्ष में हम जितने भी 28–32 विधायक हैं। शायद सरकार केवल बजट बंटवारे के काम में लगी हुई है। आज एक नए घोटाले की बात सामने आ रही है, शायद उसकी बात आपस में चल रही है कि कितना हिस्से में आयेगा। सरकार विपक्ष के विधायकों की कोई भी सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। अब हमें लीक से हटकर

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलना पड़ेगा सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए। सरकार आज कोई भी सीधी और सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम सी0एम0साहब से मिलकर भी रिक्वैस्ट कर चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी से तो हम रोज ही मिलकर के हाथ जोड़ते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के विधायकों के साथ जो उपेक्षा का भाव और दोहरापन इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, वह किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। 20 कि0मी0 के सड़क प्रस्ताव सभी विधायकों से माँगे गये और सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की जनता से कहा कि हम आपके यहाँ सड़क निर्माण करवा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि सरकार क्षेत्र में 20 कि0मी0 सड़क बनाने का कार्य कर रही है। आज वे लोग दूर-दराज से आकर हमसे कहते हैं कि विधायक जी सड़क कहाँ गई तो हमें सरकार को कोसने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं सूझता है।

माननीय अध्यक्ष जी, विधायकों को क्षेत्र में इज्जत के लाले पड़े हुए हैं। अभी जो बातें माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने कहीं, जो ऋण उत्तराखण्ड की आम जनता पर है, जिसे हमें भी देना है, वह हमारे ऊपर भी है, जिसका हमें टैक्स भी चुकाना होता है, उसके बाद भी हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है। वह हमारे ऊपर भी है। वह पैसा भी चोर बाजारी में ही जा रहा है। आज कुम्भ का हाल देख लीजिए, आपदा के पैसे का हाल देख लीजिए, जिला योजना के पैसे का हाल देख लीजिए और राज्य योजना के पैसे का हाल देख लीजिए और बाकी योजनाओं के पैसे का हाल देख लीजिए, तो सरकार कहाँ सोई हुई है? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को जाग जाना चाहिए। सभी विधायकों के साथ एकरूपता करते हुए जो 20 कि0मी0 की घोषणा की गई है, जो जिला योजना का पैसा है, वह तुरन्त हरिद्वार के लिए जारी करें और 20 कि0मी0 प्रति विधायक के हिसाब से सभी विधायकों को सड़क देने का काम करें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे, आज पीठ से सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक भी हैं, हम अपनी फरियाद कहाँ करें? आज पीठ से अवश्य ही निर्देश दें सरकार को। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*हाजी तस्लीम अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार के साथ जो भेदभाव और खासतौर से जो विपक्ष से जो विपक्ष के विधायक हैं, उनके साथ विकास कार्यों में जो भेद-भाव किया जा रहा है, वह सभी को महसूस भी हो रहा है और सरकार किसी भी विकास कार्य में ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारे 20-20 कि0मी0 के सड़क के प्रस्ताव दिये गये हैं, उसमें आज तक भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और जनता हमसे जवाब माँगती है। अन्य योजनाओं में जो सड़कें हैं, उन पर भी हरिद्वार में किसी भी तरह से कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बुरा हाल है। जो दैवीय आपदा के कारण सड़कें टूटी पड़ी हैं, पुल और रपटे टूटे पड़े हुए हैं, वहाँ अब तक रास्ते भी चलने के लिए सही नहीं हैं। लोगों को कई-कई कि0मी0 चक्कर काटकर अपने गाँव पहुँचना पड़ता है। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ सभी विभागों में, चाहे वह पर्यटन का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी विकास के कार्य हमें नहीं दिये गये हैं। पिछली सरकार में तो थोड़ा बहुत हुआ भी था। मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ध्यान दे कि सभी विधायक अपने-अपने सर्किलों में जवाबदेह होते हैं और जनता ने विश्वास करके भेजा है और

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके साथ विश्वासघात हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात और हो नहीं सकती। मान्यवर, मैं यही माँग करता हूँ कि सरकार इन तमाम योजनाओं पर कार्यवाही करते हुए इन सड़कों को बनाये, धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय सदस्यगणों ने अपनी बात रखी। मैं सम्मानित सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, माननीय सदस्यों ने कहा की जनपद हरिद्वार की लगातार उपेक्षा हो रही है। श्रीमन्, यह बात सत्य से परे है। चूँकि अगर हम विगत एक वर्ष का ही आँकड़ा उठाकर देखें, पूरे राज्यभर में जिला योजना के माध्यम से जो धनराशि दी गयी है, वह धनराशि सबसे अधिक हरिद्वार जनपद में दी गयी है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे भी अपनी बात कहने दें। माननीय अध्यक्ष जी, जो बात मैं कह रहा हूँ, मान्यवर, मैं ए0डी0बी0 योजना की बात कह रहा हूँ। पहले जिला योजना की बात कर रहा हूँ, यह जिला योजना की सड़कों के लिए कह रहा हूँ, अन्य योजना की बात नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, ए0डी0बी0 योजना की बात बतायें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ए0डी0बी0 योजना की बात कर रहा हूँ पहले जिला योजना की बात बताता हूँ। श्रीमन्, जिला योजना में जो धनराशि दी गयी, वह हरिद्वार जनपद में सबसे अधिक दी गयी, वह रू0 10 करोड़ 95 लाख 95 हजार है। मान्यवर, इसके साथ–साथ जो राज्य सेक्टर की बात आपने कही, केवल पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ कि वर्ष 2010–11 में राज्य सेक्टर में, राज्य योजना में 19 करोड़ 10 लाख रूपये (घोर व्यवधान) हरिद्वार जनपद को दिये हैं। इसके साथ–साथ आपने ए0डी0बी0 योजना की बात कही। श्रीमन्, उन सभी सड़कों की जानकारी आपको उपलब्ध करा दूँगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये।)

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दबाव बना के या चिल्ला के बात नहीं बनेगी, श्रीमन्, मैं आकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ और पूरी सत्यता के साथ बात कर रहा हूँ। मान्यवर, जहाँ तक ए0डी0बी0 योजना की बात कर रहे हैं। इसके फेज–2 में आठ सड़कें हरिद्वार जनपद के लिए स्वीकृत की हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात तो पूरी आने दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ए0डी0बी0 योजना के लिए फेज–2 में 89 करोड़ 18 लाख रूपये लागत की आठ सड़कें स्वीकृत की गयी हैं और फेज–3 में 3 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गयी। इस तरह से कुल 92 करोड़ 18 लाख रूपये ए0डी0बी0 के माध्यम से केवल फेज–2 में हरिद्वार जनपद के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके साथ–साथ कुम्भ मेले में 30 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, 138 करोड़ 76 लाख रूपये की इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की गयी है। आपने कहा कि जनपद हरिद्वार की उपेक्षा हो रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितनी धनराशि हरिद्वार जनपद में दी गयी है, उतनी अन्य जनपदों में नहीं दी गयी है। श्रीमन्, हरिद्वार हमारा द्वार है, इस राज्य का द्वार है, इस द्वार का विशेष ध्यान रखते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) मान्यवर, यह तो आरोप लगाने की बात है, आरोप आप कुछ भी लगा लें। श्रीमन्, 'हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े–लिखे को फारसी क्या'।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, तब तक उनकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाए।

(घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं श्री यशपाल बेनाम अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अकेले ए0डी0बी0 की बात कर रहे हैं तो 92 करोड़ रूपये की स्वीकृति फेज–2 और फेज–3 में जारी हुई हैं। (व्यवधान) 8 सड़कें ए0डी0बी0 की वर्तमान में चल रही हैं और एक सड़क फेज–3 में चल रही है। इसकी जानकारी पृथक से दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विधान सभावार ए0डी0बी0 की सड़कों का आवंटन नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि प्रांतीय सड़कें बनाई जाती हैं ए0डी0बी0 में। फेज–2 में 8 सड़कें हैं और फेज–1 में एक सड़क है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए जब तक कि माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं आते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारी सरकार ने विकेन्द्रीकृत विकास की अवधारणा की है, शून्य से ले करके ढाई सौ की आबादी तक की सारी सड़कें माननीय मुख्यमंत्री सड़क योजना में बनाई जायेंगी, हम इस तरह की बंदरबांट नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्थानीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री यशपाल बेनाम, श्री शहजाद, हाजी तस्लीम अहमद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, 50 करोड़ रू0 की सड़कें भगवानपुर में बनी हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 20 किलोमीटर सड़क नहीं चाहिए, बल्कि समतुल्य विकास चाहिए। (व्यवधान)

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, कण्डारी जी बैठे हुए हैं, हमारे समय में 50–50 किलोमीटर सड़कें, स्कूल, डिग्री कॉलेज की माँग लेकर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आते थे। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, कौन–कौन सी सड़कें हरिद्वार जनपद की ए0डी0बी0 योजनान्तर्गत हैं, उनकी सूचना माननीय सदस्य को दे दूँ। माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, आप उपवेशन के बाद माननीय सदस्य को सूची दिखा दें कि कौन–कौन सी सड़कें हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बता देता दूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज का बहुत लम्बा एजेण्डा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एजेण्डा लम्बा है, आप सरकार को निर्देशित कर दें कि जो विपक्ष के विधायक हैं, उनके यहां भी सड़कें दी जायं। इनके यहाँ भी हाईस्कूल दिया जाय, इंटर कॉलेज दिया जाय, पुल दिये जायं, इसका एक पैकेज हमें भी दिया जाय। (व्यवधान)

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री करन मेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब सदन व्यवस्थित होगा, तभी हम अपनी बात कह पाएंगे। (व्यवधान) मान्यवर, हम तभी कह रहे थे कि हमारी सूचना पहले ले लें। (व्यवधान) आप हमारे साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शहजाद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जो सूचनाएं रह गयी हैं, उनको अगले दिन फिर दे दें। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(भारतीय राष्ट्री कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर बात कहने लगे।)

(माननीय सदस्य करन मेहरा अपनी बात कहते हुए माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे तथा मार्शल विधान सभा तथा रक्षकों द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह जो विधेयक हम लाए हैं, यह भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन विधेयक है। इसको कम्प्यूटरीकृत किये जाने की योजना है। इसके लिए यह विधेयक लाए हैं। इसलिए इस विधेयक में जो सुसंगत संशोधन हमने किये हैं, उन सुसंगत संशोधनों को यह सदन स्वीकार कर ले, इस अनुरोध के साथ यह विधेयक संशोधनार्थ प्रस्तुत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा विचार नहीं रखे गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–24, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

विषय–सूची

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	
2.	धारा 2 में संशोधन	
3.	धारा 3 का संशोधन	
4.	धारा 8 का निरसन	
5.	धारा 12 में संशोधन	
6.	धारा 21 का संशोधन	
7.	धारा 32–क में संशोधन	

8.	धारा 32–ख का निरसन	
9.	धारा 51 का संशोधन	
10.	धारा 52 में संशोधन	
11.	धारा 53 में परन्तुक बढ़ाया जाना	
12.	धारा 54 का संशोधन	
13.	धारा 55 में अन्तःस्थापन	
14.	धारा 57 में संशोधन	
15.	धारा 58 में संशोधन	
16.	धारा 60 में संशोधन	
17.	धारा 61 में संशोधन	
18.	धारा 62 में प्रतिस्थापन	
19.	धारा 64 में संशोधन	
20.	धारा 65 में संशोधन	
21.	धारा 66 में संशोधन	
22.	धारा 69 का अन्तःस्थापन	
23.	धारा 78–ख का अन्तःस्थापन	
24.	धारा 89 में संशोधन	

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

धारा 2 में संशोधन

2. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है), में–

(क) धारा 2 का खण्ड (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(2) "पुस्तक" के अन्तर्गत पुस्तक का प्रभाग आता है और किसी भी संख्या में ऐसे पन्ने भी आते हैं, जो इस दृष्टि से एक साथ संसक्त हो, कि उनसे पुस्तक या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाय और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी पुस्तक भी आती है, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में हो;"

(ख) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात–

"(10–क) "सत्य प्रति" में फोटो स्टेट सत्य प्रति सम्मिलित है;"

"(10–ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।"

धारा 3 में संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(3) अपने शासनाधीन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण उप–महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उनके कर्त्तव्यों को विहित कर सकती है तथा उनको महानिरीक्षक के किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अधिकृत कर सकती है।"

धारा 6 का निरसन

4. मूल अधिनियम की धारा 6 निरसित कर दी जायेगी।

धारा 12 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

"12 जब कोई उप–रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या जब उसका पद अस्थायी रूप से रिक्ति हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रीकरण

महानिरीक्षक इस प्रयोजन से नियुक्त करे, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या जब तक रिक्ति भर न दी जाये, उप-रजिस्ट्रार होगा।"

धारा 21 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न की जायेगी, जब तक कि–

(क) उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो; और

(ख) जहाँ सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहाँ उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि वह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियाँ पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गई हों।"

धारा 32-क में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 32-क में–

(1) उपधारा (1) में–

(एक) शब्द "ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं", निकाल दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(ख) सही प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जाएगा, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा निर्देश दिया जाए।"

(3) उपधारा (3) निरसित कर दी जायेगी।

धारा 32-ख का निरसन

8. मूल अधिनियम की धारा 32-ख निरसित कर दी जायेगी।

धारा 51 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (2), (3) तथा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, वे सब दस्तावेज या ज्ञापन को, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं और विल नहीं हैं, सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोरेज डिवाइस हो वहाँ, उपर्युक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत,

यथास्थिति, बिलों से भिन्न सभी दस्तावेज, या उनकी सही प्रतियाँ या ज्ञापनों को उसमें स्कैन किया जाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 1 में स्थायी रूप से रखा जाएगा;

(3) पुस्तक 4 में धारा 18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत, उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं हैं;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उपर्युक्त खण्डों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, सभी दस्तावेज या उनकी सही प्रतियों को, उसमें स्कैन किया जाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 4 में स्थायी रूप से रखा जाएगा;

(5) जहाँ अग्नि, झंझा, बाढ़, अतिवृष्टि, सेना या भीड़ के या अन्य अप्रतिरोधित बल–कृत हिंसा के कारण या अन्य किसी कारण से उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई या सभी पुस्तकें नष्ट हो जायें, पूर्णतः या अंशतः अपठनीय हो जायें और राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी पुस्तक या उसके ऐसे प्रभाग को, जिसे वह उचित समझे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाये, उसे अभि–प्रमाणित या पुनः सनिर्मित किया जाये और इस प्रकार तैयार की गई अधिप्रमाणित या पुनःसनिर्मित प्रतिलिपि को इन अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रयोजनों के लिये मूल पुस्तक या प्रभाग या स्थानापन्न और स्वयं ऐसी मूल पुस्तक या प्रमाण समझा जायेगा।"

धारा 52 में संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 52 में–

(1) उपधारा (1) में–

(एक) खण्ड (क) में शब्द "ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय" के स्थान पर शब्द "ऐसी हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात–

"(ख) ऐसे दस्तावेज के लिए रसीद, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देगा।"

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 53 में परन्तुक का अन्तःस्थापन

11. मूल अधिनियम की धारा 53 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात–

"परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उस पुस्तक और हस्त अनुरक्षित पुस्तक की सभी प्रविष्टियाँ और संख्याएं एक समान होंगी।"

धारा 54 में संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 54 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

"54 हर कार्यालय में, जिसमें एतस्मिनपूर्व वर्णित पुस्तकों में से कोई भी रखी जाती है, ऐसी पुस्तकों की अन्तर्वस्तुओं की चालू अनुक्रमणिका तैयार की जायेगी और ऐसी अनुक्रमणिकाओं में हर प्रविष्टि यावत्साध्य रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के उस दस्तावेज की, जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धित है, स्कैन कर लेने या सही प्रति या ज्ञापन फाइल कर लेने के अव्यवहित पश्चात् की जायेगी।"

धारा 55 में अन्तःस्थापन

13. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

"(7) जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ इस धारा के अधीन बनाई गई अनुक्रमणिकाऐं भी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर की जायेगी।"

धारा 57 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(1) इस निमित्त संदेय फीसों का पूर्व संदाय किये जाने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए पुस्तक संख्यांक 1 और 2 और पुस्तक संख्यांक 1 से सम्बन्धित अनुक्रमणिकाऐं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हों, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी, जो उनका निरीक्षण करने के लिए आवेदन करे और धारा 62 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतियाँ, ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों को दी जायेंगी।"

धारा 57 में संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 58 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर, जो डिक्री या आदेश की प्रति से भिन्न है या रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा 89 के अधीन भेजी गयी प्रति न हो, निम्नलिखित विशिष्टियाँ समय–समय पर पृष्ठांकित की जायेगी; अर्थात–

(क) दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन और यदि ऐसा निष्पादन किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता के हस्ताक्षर और अभिवर्णन;

(ख) ऐसी दस्तावेज के प्रति निर्देश से इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन परीक्षित हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन; तथा

(ग) दस्तावेज के निष्पादन के प्रति निर्देश से रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर की उपस्थिति में दिए गए धन का कोई भी संदाय या वस्तुओं का कोई भी परिदान और ऐसे निष्पादन के प्रति निर्देश से उसकी उपस्थिति में सम्पूर्ण प्रतिफल या उसके भाग की प्राप्ति की कोई स्वीकृति।"

धारा 60 में संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात–

(1) धारा 34, 35, 58 और 59 के उपबन्धों में से उन उपबन्धों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज पर लागू है, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसा प्रमाण–पत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ, जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।"

धारा 61 में संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात–

"61–(1) धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के

स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट–आउट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में, उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायेगा।;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहाँ धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायेगा और उसके प्रिंट–आउट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति, जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32–क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायेगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत कि जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए सही प्रति तैयार कराने के लिए दस्तावेज उसे दे दें और सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध सही प्रति को, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत कि जायेगा;

(2) दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण, इसके पश्चात् पूर्ण हुआ माना जायेगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को, जिसने उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसे उसने लिखित रूप में इस निमित्त नामित किया हो, धारा 52 में उल्लिखित रसीद प्राप्त करके लौटा दिया जायेगा।

(3) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से जैसा कि समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा विहित किया जाये, अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा।"

धारा 62 में प्रतिस्थापन

18. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

"62 जब कोई दस्तावेज धारा 19 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो मूल दस्तावेज को धारा 52, 58, 59, 60 और 61 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा, और उसके अनुवाद को भी मूल दस्तावेज के साथ–साथ स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट–आउट को मूल दस्तावेज के प्रिंट–आउट के साथ रखा जायेगा और यदि पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं है या धारा 61 की उपधारा (1) के अनुसार अनुवाद की सही प्रति को दस्तावेज की सही प्रति के साथ रखा जायेगा और धार 57, 64, 65 और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतियाँ और ज्ञापन बनाने के प्रयोजनों के लिए उसे मूल प्रति माना जायेगा।"

धारा 64 में संशोधन

19. मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

"64 हर उप रजिस्ट्रार ऐसी स्थावर सम्पत्ति से, जो पूर्णतः उसके अपने जिले में स्थित नहीं है, सम्बन्धित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका और उस पर के पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र का (यदि कोई हो) ज्ञापन तैयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है, उसके अधीनस्थ हर अन्य उस उप रजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसके उप जिले में ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है और ऐसा उप रजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।"

धारा 65 में संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

(2) रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति ऐसे दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, की प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ उन उप रजिस्ट्रारों में से हर एक को अग्रेषित करेगा, जिसके उप जिलों में ऐसी सम्पत्ति को कोई भी भाग स्थित है और हर उप रजिस्ट्रार जिसे ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

उसे उस पर वैसी की कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है।

धारा 66 में संशोधन

21. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) तथा उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

"(3) ऐसा रजिस्ट्रार, ऐसी कोई भी प्रति प्राप्त होने पर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और प्रति का ज्ञापन भी अपने अधीनस्थ उप रजिस्ट्रारों में से हर एक को भेजेगा, जिसके उप जिलों में ऐसी सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है।"

"(4) ऐसा हर उप रजिस्ट्रार जिसे इस धारा के अधीन कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसे उस पर वैसी की कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है।"

धारा 69 का अन्तःस्थापन

22. "(1) मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात–

"(जज–1) संख्या और रीति, जिसमें दस्तावेजों के और अनुवाद की प्रिंट–आउट या सही प्रतियाँ तैयार की जायेगी और पुस्तकें, जिनमें उन्हें अभिलेख के लिए रखा जायेगा, को विनियमित करने वाले;

"(जज–2) घोषणा के प्रपत्र और सही प्रतियों के मिलान और सत्यापन की रीति को विनियमित करने वाले;

"(जज–3) रीति, जिसमें और रक्षोपाय, जिसके अधीन रहते हुए पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले"

(2) मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् एक नई धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात–

"69–क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व

अनुमोदन से, जनसाधारण के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के मानक के प्रारूपों को तैयार करेगा और उन्हें परिचालित करेगा, जिसका संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के अधीन तैयार और परिचालित किये गए मानक प्रारूप का प्रयोग, धारा 21 और 22 के अधीन अपेक्षित सम्पत्ति के विवरणों को छोड़े जाने का आधार नहीं होगा।"

धारा–78–ख का अन्तःस्थापन

23. मूल अधिनियम की धारा 78–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात–

"78–ख–(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित की जा सकेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन व्यक्तियों, जिनके द्वारा ऐसा विक्रय, और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए खरीदे गये खराब, गलती से प्रयोग किये गये या अप्रयुत आसंजक लेबलों के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दे सकेगा।"

धारा–89 में संशोधन

24. मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएग; अर्थात–

"(1) भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर अपने आदेश की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अभिवृद्धि की जाने वाली पूरी भूमि या उसका कोई भाग या सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अनुदत्त की जाने वाली भूमि स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय का प्रमाण पत्र अनुदत्त करने वाला हर न्यायालय ऐसे प्रमाण पत्र के प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे प्रमाण पत्र समाविष्ट पूरी स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(3) कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर किसी भी ऐसी लिखत की प्रति, जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति उधार के प्रति संदाय की प्रतिभूति करने के लिए बंधक की गई है और ऐसी कोई सम्पत्ति उधार अनुदत्त करने वाले आदेश की प्रति भी उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह पूरी सम्पत्ति, जिसका बन्धक किया गया है या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसा कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(4) लोक नीलाम द्वारा बेची गई स्थावर सम्पत्ति के क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र अनुदत्त करने वाला हर राजस्व ऑफिसर प्रमाण–पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रमाण–पत्र में समाविष्ट पूरी सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसा कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।"

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न है कि खण्ड–2 से खण्ड–24, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपना विचार रखना चाहें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपने विचार नहीं रखे गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर संशोधन के लिए–

विधेयक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनाँक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

धारा 2 में संशोधन

2\. इस स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में –

(क) खण्ड (14) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(14) "लिखत"–लिखत के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा सृष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, आन्तिरक, सीमित विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है;

(ख) खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्–

(14–क) "दान की लिखत"–दान की लिखत के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो;

(ग) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्–

(22–क) "लोक अधिकारी"–लोक अधिकारी से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथा परिभाषित लोक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी भी है; अर्थात्–

(एक) उत्तराखण्ड राज्य को किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकारण।

(दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (ह) में यथा परिभाषित कोई 'वित्त पोषक बैंक' या 'केन्द्रीय बैंक'।

धारा 29 में संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 29 में–

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक "सं0 40 (बन्धक विलेख)" के पश्चात् शब्द और अंक "सं0 43 (टिप्पणी या ज्ञापन)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

(च–च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा;

धारा 31 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (1) में शब्द "ऐसी रकम जो (जो पाँच रुपये से अनधिक और पचास नए पैसे से अन्यून हो), फीस, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे," के स्थान पर शब्द "ऐसी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 40 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराऐं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

(1–क) कलक्टर यह अपेक्षा करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनाँक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनःसंगणना की जायेगी;

(1–ख) उपधारा (1–क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा;

(1–ग) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो;

(1–घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।

धारा 42 में संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 42 में–

(क) शीर्षक में शब्द और अंक "धारा 35, 40 या 41" के स्थान पर शब्द और अंक "40, 41 या 47–क" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 40, या धारा 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 40, धारा 41 या 47–क" रख दिये जायेंगे;

धारा 47–क में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 47क में–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

(1) (क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषय वस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पहले, धारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथा संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा;

(ख) जब खण्ड (क) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के सम्बन्ध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उस रजिस्ट्रीकृत करेगा;

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथा विहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की

अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किरता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा।

(ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा; अर्थात्–

स्पष्टीकरण– उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी।

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराऐं बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात्–

(4–क) कलक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनाँक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय;

परन्तु यह कि यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनःसंगणना की जायेगी;

(4–ख) उपधारा (4–क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायेगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायेगा।

(4–ग) जहाँ स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहाँ उपधारा (4–क) में

निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो;

(4–घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायेगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा।

धारा 56 में संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 56 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्–

(1–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय–चार, अध्याय–पाँच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनाँक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा;

धारा 62 में संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 62 में उपधारा (1) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, मत देगा या मत देने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु छः माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपना विचार रखना चाहें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपने विचार नहीं रखे गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2 से खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" तथा "हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)" के स्थान पर "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" पढ़ा जाना।

2. हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003), में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ–वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" तथा जहाँ–जहाँ शब्द "हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)" आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपना विचार रखना चाहें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपने विचार नहीं रखे गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधेयक सं0..... वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

शब्द 'उत्तरांचल' के स्थान पर "उत्तराखण्ड" प्रतिस्थापित किया जाना 2. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में 'उत्तरांचल' शब्द के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' रख दिया जायेगा।

व्यावृत्ति 3. ऐसे संशोधन होते हुए भी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में की गई कोई बात या कार्यवाई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी में दो सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमान्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 'उत्तर प्रदेश' कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1974 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित की धारा 10(1), उप धारा (छ) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधायक सदस्यों को यह सदन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।'

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 'उत्तर प्रदेश' कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1974 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित की धारा 10(1), उप धारा (छ) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधायक सदस्यों को यह सदन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य, विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पाँच सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमान्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 'राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 धारा 22(1)(XV)' के अन्तर्गत कुमाऊँ विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 05 मा0 विधान सभा सदस्यों को नामित करते हुए यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य, विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।'

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 'राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 धारा 22(1)(XV)' के अन्तर्गत कुमाऊँ विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 05 मा0 विधान सभा सदस्यों को नामित करते हुए यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य, विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह सरकार जानबूझ कर शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्या पर चर्चा से बचना चाहती है। इस माईक की जरूरत हरक सिंह रावत को नहीं है। मुख्यमंत्री 'निशंक' जी को यह माईक दिया करो, उनको आवश्यकता पड़ती है। माननीय

अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा को देखते हुए, शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षित बेरोजगारों, नौजवानों की पीड़ा को देखते हुए मैं और मेरा दल वॉक आउट करता है, क्योंकि सरकार ने हमारी पीड़ा को, इस प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा को नहीं सुना है।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर बाहर चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 4.40 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य और माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम पूर्व से 'वेल' में बैठे हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत हमारी सूचना थी ग्राह्यता पर।

श्री अध्यक्ष–

फिर दे दीजिएगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कल फिर क्या दे देना है? शिक्षा मित्र आंदोलनरत् हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है, इससे गम्भीर दूसरा कोई विषय हो नहीं सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री शहजाद जी, स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, नियम–58 के अन्तर्गत मेरी एक सूचना थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत बी0पी0एड0/बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों के बारे में सूचना दी थी। आपने नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के लिए चर्चा स्वीकार की थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने आप सभी को पूरा–पूरा अवसर दिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षित बेरोजगारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और माताओं के बारे में जानबूझकर चर्चा स्वीकार नहीं गई। हमको बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल उत्तराखण्ड के नौजवानों की पीड़ा को देखते हुए सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री शहजाद जी, स्थान ग्रहण करें। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य और माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में बैठे हुए अपनी बात को कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ नहीं हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग भी उनके पास है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं, जो उनके पास सूची है, उसके अनुसार हरिद्वार जनपद में जो सड़क आवंटित की गई है, वह वे बता देंगे। जनपदवार पूछ लें। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय निजामुद्दीन जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद और श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा 'वेल' में बैठे–बैठे कुछ कागजों को सदन में उछाला गया।)

आपको माननीय पन्त जी सूची बता तो रहे हैं कि हरिद्वार जनपद में कितने कार्य हुए हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने स्थान पर जाकर कहें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसको आप अपने प्रस्ताव में रख दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शहजाद जी, आप मद संख्या–29 पर अपने विचार रखना चाहते हैं ?

(श्री शहजाद जी विचार रखने हेतु खड़े नहीं हुए।)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है अपने स्थान पर कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

महामहिम के अभिभाषण पर सम्पूर्ण विपक्ष ने अभिभाषण के समय में व्यवधान करके और आज भी महामहिम के अभिभाषण पर माननीय विधायकों को बोलने से वंचित रखने के लिए व्यवधान पैदा करके सम्पूर्ण विपक्ष के जहाँ महामहिम का अपमान किया है वहीं प्रदेश की जनता का अपमान किया है, प्रदेश की प्रथम महिला का भी अपमान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में 108 की सेवा जब से शुरू की है, तब से प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में अलग सी क्रांति आई है। माननीय अध्यक्ष जी, 108 की सेवा के अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक जनपद में दो सचल चिकित्सा वाहन जिसमें अल्ट्रासाऊण्ड, एक्सरे मशीन, ई0सी0जी0 एवं पैथालॉजी के तमाम संयंत्र लगाकर प्रत्येक जनपद में ऐसी सेवा की शुरूआत की है, तो मैं यह कहूँगा कि शायद यह पूरे प्रदेश में हमारी सरकार का ऐसा प्रयास है जिससे जनता को जहाँ राहत ही नहीं मिली बल्कि पूरे प्रदेश की जनता हमारी सरकार के प्रति आभारी है। माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए नैनीताल और देहरादून में जो केन्द्र स्थापित किये गये हैं उसमें भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश को बहुत बड़ी राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि अच्छी चिकित्सा होने का मार्ग प्रशस्त होगा। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार एम0बी0बी0एस0 का कोर्स मात्र 15000 रू0 में करा रही है। मान्यवर, विपक्ष व्यवधान पैदा करके प्रदेश की जनता को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि यह नहीं चाहते कि प्रदेश में कुछ विकास के कार्य हों, अच्छी योजनाएं आयें और विपक्ष यह भी नहीं चाहता कि हमारी विधान सभा व्यवस्थित ढंग से चल सके।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर प्राप्त संशोधन, जो उपस्थित किए माने गये, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2011 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री दिनेश अग्रवाल, श्रीमती अमृता रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री यशपाल बेनाम, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री केदार सिंह रावत, श्री बृजमोहन कोटवाल की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना, जो कि देहरादून शहर में सर्वे चौक से रायपुर तिराहे और रायपुर तिराहे से सहस्त्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क तक लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़क के चौड़ीकरण तथा डामरीकरण के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के डांडा नागराजा, कोलापाताल, सबदरखाल, घुड़दौड़ी एवं ढिकालू पेयजल पम्पिंग योजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री बृजमोहन कोटवाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए तथा जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत न्याय पंचायत कर्मी के गाँवों में विद्युत संकट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री शेर सिंह गढ़िया की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

अब हम उठते हैं, दिनांक 22 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 05 बजकर 06 मिनट पर मंगलवार दिनांक 22 मार्च, 2011 तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांक : 16 मार्च, 2011

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या--1 का उत्तर पीछे पृष्ठ--16 पर)

अनुपूरक सामग्री

बेस गोदाम से जनपद के आन्तिरक गोदामों तक परिवहन दरें निविदायें आमन्त्रित कर प्रति वर्ष निर्धारित कर परिवहन व्यय का भुगतान बिलों के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) के द्वारा किया जाता है। अन्न भण्डारों से उचित दर दुकानों तक परिवहन दरें दूरी के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर की जाती है।

पूर्व में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 योजना के खाद्यान्नों में परिवहन दरों की धनराशि उपभोक्ता मूल्यों में जोड़कर निर्धारित की जाती थी। फलस्वरूप ढुलान भाड़े का तत्समय ही भुगतान विक्रेता को हो जाता था। चीनी में निर्धारित परिवहन दरें उपभोक्ता मूल्य में गोदाम से चीनी की उठान की दरें निर्धारित की जाती हैं। अन्त्योदय योजना के खाद्यान्नों पर गोदाम की दुकान तक का परिवहन व्यय का भुगतान सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा बजट की उपलब्धता तथा विक्रता के ढुलान बिल प्राप्त होने पर किया जाता है। वर्तमान में विक्रेताओं के ढुलान बिल जिला पूर्ति कार्यालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। जिला पूर्ति कार्यालय में बिल प्राप्त होने पर उनके भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। कभी--कभी बजट की अनुलब्धता तथा विक्रेताओं द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमित भुगतान में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।

मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्नों पर गोदाम से विद्यालय तक ढुलान भाड़े का निर्धारण जिलाधिकारियों द्वारा वर्ष 2010--11 में किया गया है। इस योजना के पविहन व्यय का भुगतान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बिल प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ–27 पर)

अनुपूरक सामग्री

उत्तराखण्ड बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 307074 कार्ड प्रचलित हैं। इन कार्डों पर कुल 3628 मी0टन गेहूं तथा 7121 मी0टन चावल प्रति माह प्राप्त हो रहा है। इस के अतिरिक्त वर्तमान में 2757.666 मी0टन गेहूं एवं 3607 मी0टन चावल प्रति माह अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है।

जहाँ तक ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के नियमित वितरण हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं–

1. ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं वितरण का रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है।
2. गोदामों में सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्नों के उठान एवं वितरण का सत्यापन कराया जा रहा है।
3. सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये गये खाद्यान्न का वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आगामी माह के खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
4. उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु राज्य में सिटीजन चार्टर लागू किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बारे में जानकारी हो सके।
5. खाद्यान्न का परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर बैनर प्रदर्शित करने के आदेश दिये गये हैं।
6. प्रत्येक जनपद में जिला पूर्ति कार्यालय में कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है ताकि खाद्यान्न वितरण में शिकायत पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
7. प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में निम्न प्रवर्तन किये गये–

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	छापे	F.I.R	लाईसेन्स निलम्बित	लाईसेन्स निरस्त	अधिग्रहीत की गई वस्तुओं का मूल्य (रू0 में)	जब्त प्रतिभूति (रू0 में)
1.	2008–09	8707	23	80	53	1047402.09	530492.00
2.	2009–10	11273	19	208	90	6244150.000	506137.00
3.	2010–11 (दिसम्बर,10)तक	8342	19	77	66	1525155.302	609758.00
	योग	28322	61	365	209	8816707.392	1646387.00

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधान सभा/418–06–02–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।